रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-टी.एन.-अ.-29052025-263455
CG-TN-E-29052025-263455

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 394] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मई 29, 2025/जयेष्ठ 8, 1947
No. 394] NEW DELHI, THURSDAY, MAY 29, 2025/JYAISHTHA 8, 1947

## इण्डियन ओवरसीज़ बैंक

## अधिसूचना

चेन्नै, 29 मई, 2025

**सं. HRMD/SUP/177/01/25-26.**—बैंकिंग कंपनियां (अधिग्रहण और स्थानांतरण) अधिनियम, 1970 (1970 का 5) की धारा 19 के साथ पठित धारा 12 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए, इण्डियन ओवरसीज़ बैंक के निदेशक मंडल, भारतीय रिज़र्व बैंक से परामर्श के बाद और केंद्र सरकार की पूर्व स्वीकृति के साथ, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, वित्तीय सेवाएं विभाग के पत्र संख्या 4/2/1/2022-IR, दिनांकित 13 मार्च, 2024 के अनुसरण में किए गए या न किए गए कार्यों को छोड़कर, 1 नवम्बर, 2022 से इस अधिसूचना के आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशन की तिथि तक, इण्डियन ओवरसीज़ बैंक (अधिकारी) सेवा विनियम, 1979 में निम्नलिखित संशोधन करने के लिए यहां विनियम बनाता है, अर्थात्:

1. (1) इन विनियमों को इण्डियन ओवरसीज़ बैंक (अधिकारी) सेवा (संशोधन) विनियम, 2025 कहा जाएगा।

(2) ये उस तिथि से प्रभावी होंगे जिस दिन इन्हें आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशित किया जाएगा ।

2. इण्डियन ओवरसीज़ बैंक (अधिकारी) सेवा विनियमन, 1979 (जिसे बाद में "कथित विनियमन" कहा जाएगा) में, नियम 3 में–

(i) खंड (एफ) के लिए, निम्नलिखित खंड प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:

"(एफ) चिकित्सा सुविधाओं के प्रयोजनों के लिए और छुट्टी किराया रियायत के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी के संबंध में "परिवार" का अर्थ है–

(i) अधिकारी का जीवनसाथी;

(ii) पूर्णतः आश्रित अविवाहित बच्चे (सौतेले बच्चों और कानूनी रूप से गोद लिए गए बच्चों सहित);

(iii) चालीस प्रतिशत या उससे अधिक विकलांगता वाले पूर्णतः आश्रित शारीरिक या मानसिक रूप से विकलांग भाई या बहन;

(iv) विधवा बेटियाँ और आश्रित तलाकशुदा या अलग हुई बेटियाँ;

(v) बहनें जिनमें अविवाहित या तलाकशुदा या पति से अलग हुई या परित्यक्त या विधवा बहनें शामिल हैं; तथा

(vi) माता-पिता जो पूरी तरह से अधिकारी पर निर्भर हैं:

बशर्ते कि शारीरिक या मानसिक रूप से विकलांग बच्चों के मामले में, चाहे उनकी आयु कुछ भी हो, उन्हें विवाह के बाद भी आश्रित माना जाएगा, यदि वे आश्रित के लिए आय संबंधी मानदंड को पूरा करते हों ।

**व्याख्या 1 –** "पूरी तरह निर्भर पारिवारिक सदस्य" का अर्थ होगा ऐसा पारिवारिक सदस्य जिसकी आय ₹18,000/- प्रति माह से अधिक न हो, और यदि माता-पिता में से किसी एक की आय ₹18,000/- प्रति माह से अधिक हो या दोनों माता-पिता की संयुक्त आय ₹18,000/- प्रति माह से अधिक हो, तो दोनों माता-पिता को अधिकारी पर पूरी तरह निर्भर नहीं माना जाएगा; और

**व्याख्या 2 -** चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति और अवकाश भाड़ा रियायत योजना के उद्देश्य से, सभी अधिकारियों (पुरुष या महिला) के लिए, निर्भर माता-पिता या ससुराल पक्ष के माता-पिता में से कोई भी दो शामिल किए जाएंगे, और अधिकारी को इन निर्भर व्यक्तियों में से किसी एक या दोनों को बदलने का विकल्प, कैलेंडर वर्ष में एक बार होगा ।

**व्याख्या 3** - यह परिभाषा 1 अप्रैल, 2024 से प्रभावी होगी और कैलेंडर वर्ष 2024 के लिए, चिकित्सा बीमा योजना के प्रयोजन के लिए, आश्रितों की संशोधित मासिक आय मानदंड 1 नवम्बर, 2024 से प्रभावी होगी ।

3. कथित विनियमों के विनियम 4 में–
(ए) उप-विनियम (7) में, व्याख्या को हटा दिया जाएगा;
(बी) उप-विनियम (8) और (9) के लिए, निम्नलिखित उप-विनियम प्रतिस्थापित किए जाएंगे, अर्थात्:

"(8) 1 नवम्बर, 2022 से, प्रत्येक ग्रेड के लिए वेतनमान इस प्रकार होगा:

(ए) शीर्ष कार्यपालक ग्रेड

स्केल VII = ₹156500– 4340/4–173860
स्केल VI = ₹140500–4000/4 – 156500

(बी) वरिष्ठ प्रबंधन ग्रेड

- स्केल V = ₹120940 – 3360/2 – 127660 – 3680/2 - 135020
- स्केल IV = ₹102300 – 2980/4 – 114220– 3360/2 – 120940

(सी) मध्य प्रबंधन ग्रेड

- स्केल III = ₹85920-2680/5– 99320 - 2980/2 - 105280
- स्केल II = ₹64820–2340/1 - 67160 -2680/10 - 93960

(डी) कनिष्ठ प्रबंधन ग्रेड

- स्केल I = ₹48480-2000/7- 62480-2340/2-67160-2680/7-85920.

व्याख्या:
हर वह अधिकारी जो 31 अक्टूबर, 2022 को लागू वेतनमान के तहत शासित है, उसे 1 नवम्बर, 2022 को इस उप-विनियम में निर्धारित वेतनमान में पहले चरण से प्रारंभ होकर क्रमशः उसी चरण के आधार पर फिट किया जाएगा। वेतनवृद्धि की तारीख पूर्ववत उसी वार्षिक तिथि पर होगी, जब तक कि अन्यथा निर्दिष्ट न हो ।

(9) शीर्ष कार्यपालक ग्रेड में मुख्य महाप्रबंधक के पद के लिए वेतनमान निम्नानुसार होगा:

शीर्ष कार्यपालक ग्रेड:

स्केल VIII = ₹253000 – 9000/4 – 289000

(10) उप-विनियम (1) से (9) में कुछ भी ऐसा नहीं होगा जो यह अपेक्षा करता हो कि बैंक में हमेशा इन सभी ग्रेडों में अधिकारी कार्यरत हों।

(11) 1 नवम्बर, 2012 से, अधिकारियों को विशेष भत्ते निम्नलिखित अनुसार दिए जाएंगे:

स्केल I-III - मूल वेतन का 7.75% और उस पर लागू महंगाई भत्ता
स्केल IV-V - मूल वेतन का 10% और उस पर लागू महंगाई भत्ता
स्केल VI-VII - मूल वेतन का 11% और उस पर लागू महंगाई भत्ता

(12) 1 नवम्बर, 2017 से, अधिकारियों को विशेष भत्ते निम्नलिखित के अनुसार प्रदान किए जाएंगे:

स्केल I-III - मूल वेतन का 16.40% और उस पर लागू महंगाई भत्ता
स्केल IV-V - मूल वेतन का 19% और उस पर लागू महंगाई भत्ता
स्केल VI-VII - मूल वेतन का 20% और उस पर लागू महंगाई भत्ता

(13) 1 नवम्बर, 2022 से अधिकारियों को निम्नानुसार विशेष भत्ते का भुगतान किया जाएगा:

स्केल I – मूल वेतन का 26.50 प्रतिशत तथा उस पर लागू महंगाई भत्ता
स्केल II – III - मूल वेतन का 28.30 प्रतिशत तथा उस पर लागू महंगाई भत्ता
स्केल IV – V - मूल वेतन का 30.50 प्रतिशत तथा उस पर लागू महंगाई भत्ता
स्केल VI - VII - मूल वेतन का 31.50 प्रतिशत तथा उस पर लागू महंगाई भत्ता।

(14) शीर्षस्थ कार्यपालक ग्रेड में मुख्य महा प्रबंधक के पद के लिए विशेष भत्ता निम्नानुसार होगा:

विशेष भत्ता स्केल VIII = मूल वेतन का 28.30 प्रतिशत तथा उस पर लागू महंगाई भत्ता

**टिप्पणी :** खंड (11) से (14) में उल्लिखित विशेष भत्ते और उस पर लागू महंगाई भत्ता, सेवानिवृत्ति लाभ जैसे पेंशन परिभाषित अंशदायी पेंशन योजना (नई पेंशन योजना सहित), भविष्य निधि और ग्रेच्युटी के लिए मान्य नहीं होंगे।"

4. कथित विनियमन के विनियम 5 में–

(ए) उप-विनियम (1) के लिए, निम्नलिखित उप-विनियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:

"(1) विनियम 4 के उप-विनियम (8) के प्रावधानों के अधीन, 1 नवम्बर, 2022 से, वेतनवृद्धि निम्नलिखित के अनुसार प्रदान की जाएगी:

(ए) उप-विनियम 4 के उप-विनियम (8) और (9) में निर्दिष्ट वेतनमान में निर्धारित वेतनवृद्धि, सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति के अधीन, वार्षिक आधार पर प्रदान की जाएगी और जिस महीने में वेतनवृद्धि देय हो, उचित आधार पर उस महीने के पहले दिन दी जाएगी।

(बी) स्केल I और स्केल II के अधिकारियों को अपने संबंधित स्केल के अधिकतम वेतन तक पहुंचने के एक वर्ष बाद, अगले उच्चतर स्केल में जैसा कि निम्नवत खंड (सी) और (डी) में उद्धृत है, आगे की वेतनवृद्धि (गतिरोध वेतनवृद्धि सहित) प्रदान की जाएगी, बशर्ते कि वे दक्षता सीमा को पार कर लें।

(सी) कनिष्ठ प्रबंधन ग्रेड स्केल I में अधिकारी, जो उप-खंड (बी) के तहत मध्य प्रबंधन ग्रेड स्केल II के वेतनमान में आ गए हैं, उच्चतर स्केल के अधिकतम वेतन तक पहुंचने के बाद, उन्हें प्रत्येक दो पूरे वर्षों की सेवा के लिए सात गतिरोध वेतनवृद्धियां मिलेंगी, जिनमें से पहले दो ₹2680/- प्रत्येक और अगली पाँच ₹2980/- प्रत्येक की होंगी:

बशर्ते, अधिकारी पांचवीं गतिरोध वेतनवृद्धि के लिए छठी गतिरोध वेतनवृद्धि जारी होने के दो वर्ष बाद या 1 नवम्बर, 2022, जो भी बाद में हो, के लिए पात्र होंगे।

बशर्ते कि अधिकारी पांचवीं गतिरोध वेतन वृद्धि जारी होने के चार वर्ष बाद या 1 नवम्बर 2022, जो भी बाद में हो, सातवीं गतिरोध वेतन वृद्धि के लिए पात्र होगा ;

(डी) मध्य प्रबंधन ग्रेड स्केल II में अधिकारी, जो उप-खंड (b) के तहत मध्य प्रबंधन ग्रेड स्केल III के वेतनमान में आ गए हैं, उच्चतर स्केल के अधिकतम वेतन तक पहुंचने के बाद, प्रत्येक दो पूरे वर्षों की सेवा के लिए ₹2980/- प्रत्येक की सात गतिरोध वेतनवृद्धियां प्राप्त करने के पात्र होंगे:

बशर्ते, अधिकारी पांचवीं गतिरोध वेतनवृद्धि के लिए छठी गतिरोध वेतनवृद्धि जारी होने के दो वर्ष बाद या 1 नवम्बर, 2022, जो भी बाद में हो, के लिए पात्र होंगे।

बशर्ते कि अधिकारी पांचवीं गतिरोध वेतन वृद्धि जारी होने के चार वर्ष बाद या 1 नवम्बर 2022, जो भी बाद में हो, सातवीं गतिरोध वेतन वृद्धि के लिए पात्र होगा ;

(ई) जिन अधिकारियों को मध्य प्रबंधन ग्रेड स्केल III में पदोन्नत या जिनकी नियुक्ति इस ग्रेड में की गई है, अधिकतम वेतनमान तक पहुँचने पर, वे आठ गतिरोध वेतनवृद्धियों के पात्र होंगे, जिनमें से प्रत्येक दो वर्षों की सेवा पूरी करने पर, पहले चार ₹2980/- प्रदान की जाएंगी और अगली चार गतिरोध वेतनवृद्धि ₹3360/- प्रत्येक की होंगी:

बशर्ते, छठी गतिरोध वेतनवृद्धि सातवीं गतिरोध वेतनवृद्धि जारी होने के दो वर्ष बाद या 1 नवम्बर, 2022, जो भी बाद में हो, के लिए जारी की जाएगी:

बशर्ते कि कोई अधिकारी छठी गतिरोध वेतनवृद्धि जारी होने के चार वर्ष बाद या 1 नवम्बर 2022 को, जो भी बाद में हो, आठवीं गतिरोध वेतनवृद्धि के लिए पात्र होगा;

(एफ) वरिष्ठ प्रबंधन ग्रेड स्केल IV में अधिकारी पांच गतिरोध वेतन वृद्धि के लिए पात्र होंगे, प्रत्येक वेतन वृद्धि वेतनमान के अधिकतम स्तर में पहुंचने के बाद सेवा के प्रत्येक दो पूर्ण वर्षों के लिए होगी, जिसमें से पहली गतिरोध वेतन वृद्धि 3360/- रुपये की होगी और अगली चार गतिरोध वेतन वृद्धियां 3680/- रुपये प्रत्येक की होंगी:

बशर्ते कि अधिकारी द्वितीय गतिरोध वेतन वृद्धि जारी होने के दो वर्ष पश्चात् अथवा 1 नवम्बर 2022, जो भी बाद में हो, तृतीय गतिरोध वेतन वृद्धि के लिए पात्र होगा :

बशर्ते कि कोई अधिकारी दूसरी गतिरोध वेतनवृद्धि जारी होने के चार वर्ष बाद अथवा 1 नवम्बर 2022, जो भी बाद में हो, चौथी गतिरोध वेतनवृद्धि के लिए पात्र होगा :

बशर्ते कि कोई अधिकारी दूसरी गतिरोध वेतनवृद्धि जारी होने के छ: वर्ष बाद अथवा 1 नवम्बर 2022, जो भी बाद में हो, पाँचवी गतिरोध वेतनवृद्धि के लिए पात्र होगा :

(जी) वरिष्ठ प्रबंधन ग्रेड स्केल V के अधिकारी, स्केल के अधिकतम स्तर में पहुंचने के बाद सेवा के प्रत्येक दो पूर्ण वर्षों के लिए 4000/- रुपये की दर से गतिरोध स्थिर वेतन वृद्धि के लिए पात्र होंगे:

बशर्ते कि कोई अधिकारी अधिकतम वेतनमान तक पहुंचने के चार वर्ष बाद 1 नवम्बर 2022 को, जो भी बाद में हो, द्वितीय गतिरोध वेतनवृद्धि के लिए पात्र होगा :

बशर्ते कि कोई अधिकारी अधिकतम वेतनमान तक पहुंचने के छह वर्ष बाद या 1 नवम्बर 2022 को, जो भी बाद में हो, तीसरी गतिरोध वेतनवृद्धि के लिए पात्र होगा :

बशर्ते कि कोई अधिकारी अधिकतम वेतनमान तक पहुंचने के आठ वर्ष बाद या 1 नवम्बर 2022 को, जो भी बाद में हो, चौथी गतिरोध वेतनवृद्धि के लिए पात्र होगा ;

(एच) शीर्ष प्रबंधन ग्रेड स्केल VI के अधिकारी अधिकतम वेतनमान तक पहुंचने के बाद सेवा के प्रत्येक दो पूर्ण वर्षों के लिए तीन गतिरोध वेतन वृद्धि के लिए पात्र होंगे, जिनमें से पहली दो गतिरोध वेतन वृद्धियां 4000/- रुपये प्रत्येक की होंगी और तीसरी गतिरोध वेतन वृद्धि 4340/- रुपये की होगी:

बशर्ते कि कोई अधिकारी जो पहले ही अधिकतम वेतनमान पर पहुंच चुका है, वह अधिकतम वेतनमान पर पहुंचने के दो वर्ष बाद या 1 नवम्बर 2022, जो भी बाद में हो, 4000/- रुपये की पहली गतिरोध वेतनवृद्धि के लिए पात्र होगा :

बशर्ते कि कोई अधिकारी जो पहले ही अधिकतम वेतनमान पर पहुंच चुका है, वह अधिकतम वेतनमान पर पहुंचने के चार वर्ष बाद या 1 नवम्बर 2022 को, जो भी बाद में हो, 4000/- रुपये की दूसरी गतिरोध वेतन वृद्धि के लिए पात्र होगा:

बशर्ते कि कोई अधिकारी जो पहले ही अधिकतम वेतनमान पर पहुंच चुका है, वह अधिकतम वेतनमान पर पहुंचने के छह वर्ष बाद या 1 नवम्बर 2022 को, जो भी बाद में हो, 4340/- रुपये की तीसरी गतिरोध वेतन वृद्धि के लिए पात्र होगा;

(आई) शीर्ष प्रबंधन ग्रेड स्केल VII के अधिकारी, वेतनमान के अधिकतम स्तर में पहुंचने के बाद सेवा के प्रत्येक दो पूर्ण वर्षों के लिए 4340/- रुपये की दर से तीन स्थिर वेतन वृद्धि के लिए पात्र होंगे:

बशर्ते कि कोई अधिकारी जो पहले ही अधिकतम वेतनमान पर पहुंच चुका है, वह अधिकतम वेतनमान पर पहुंचने के दो वर्ष पश्चात् या 1 नवम्बर 2022 को, जो भी बाद में हो, प्रथम गतिरोध वेतनवृद्धि के लिए पात्र होगा :

बशर्ते कि कोई अधिकारी जो पहले ही अधिकतम वेतनमान पर पहुंच चुका है, वह अधिकतम वेतनमान पर पहुंचने के चार वर्ष बाद या 1 नवम्बर 2022 को, जो भी बाद में हो, द्वितीय स्थिर वेतनवृद्धि के लिए पात्र होगा :

बशर्ते कि कोई अधिकारी जो पहले ही अधिकतम वेतनमान पर पहुंच चुका है, वह अधिकतम वेतनमान पर पहुंचने के छह वर्ष बाद या 1 नवम्बर 2022 को, जो भी बाद में हो, तीसरी स्थिर वेतनवृद्धि के लिए पात्र होगा ।

**टिप्पणी:** इस उप-विनियम के खंड (सी) से (आई) में उल्लिखित वेतनवृद्धि उस अधिकारी को नहीं दी जाएगी जो पदोन्नति का प्रस्ताव मिलने पर उसे अस्वीकार कर देता है।

व्याख्या– इस उप-विनियम के अंतर्गत अगले उच्चतर वेतनमान में ऐसी वेतन वृद्धि प्रदान करना पदोन्नति नहीं माना जाएगा और अधिकारियों के विशेषाधिकार, सुविधाएं, कर्तव्य और जिम्मेदारियां उनके मूल पद के अनुसार जारी रहेंगी।"

(बी) उप-विनियम (2) में, —

(i) व्याख्या से पहले, निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात्:-

नवम्बर, 2022 से अधिकारी जो सीएआईआईबी या सर्टिफाइड एसोसिएट ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकर्स परीक्षा (सीएआईआईबी-II) के भाग II को पूरा करेंगे, वे जूनियर एसोसिएट ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन बैंकर्स परीक्षा (जेएआईआईबी) या सर्टिफाइड एसोसिएट ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकर्स परीक्षा (सीएआईआईबी-I) के भाग I को पूरा करने पर मिलने वाले एक वेतन वृद्धि के अलावा अपने वेतनमान में दो वेतन वृद्धि के लिए पात्र होंगे:

नवम्बर, 2022 तक वे अधिकारी जो बैंक की सेवाओं में थे और पहले ही सीएआईआईबी या सीएआईआईबी-II पूरा कर चुके हैं, वे दूसरे अतिरिक्त वेतन वृद्धि के लिए पात्र होंगे, जो 1 नवम्बर, 2022 या सीएआईआईबी या सीएआईआईबी II उत्तीर्ण करने की तिथि, जो भी बाद में हो से पात्र होंगे:

बशर्ते कि ऐसे मामले में जहां किसी अधिकारी ने 8 मार्च 2024 तक वेतनमान के अधिकतम स्तर (जेएआईआईबी या सीएआईआईबी के मामले में) पर पहुंचने के बाद या वेतनमान के अधिकतम स्तर से एक स्तर कम पर पहुंचने के बाद [सीएआईआईबी (सीएआईआईबी II) के मामले में] पर पहुंचने के बाद पहले ही जेएआईआईबी या सीएआईआईबी-I या सीएआईआईबी (सीएआईआईबी II) प्राप्त कर लिया है या प्राप्त करता है और उसने ऐसी योग्यता प्राप्त करने के कारण अन्यथा हकदार वेतन वृद्धि अर्जित नहीं की है, जब उन कर्मचारियों के वेतनमान में प्रदान करने के लिए कोई वेतन वृद्धि नहीं थी, ऐसे मामलों में गतिरोध वेतनवृद्धि एक वर्ष या दो वर्ष, जैसा भी मामला हो, आगे बढ़ाई जा सकती है ।"

(ii) स्पष्टीकरण में, खंड एच के पश्चात् और नोट से पहले, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"1 नवम्बर, 2022 से, अन्य चीजें समान होने पर, व्यावसायिक योग्यता वेतन की मात्रा निम्नलिखित तालिका में निर्दिष्ट अनुसार संशोधित होगी, अर्थात्:-

**तालिका**

| | |
|---|---|
| जिन्होंने जूनियर एसोसिएट इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकर्स या सर्टिफाइड एसोसिएट ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकर्स के भाग। परीक्षा उत्तीर्ण की हो | वेतनमान के अधिकतम स्तर पर पहुंचने के एक वर्ष बाद रु.1370/- प्रति माह । |
| जिन्होंने सर्टिफाइड एसोसिएट ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकर्स (CAIIB) या सर्टिफाइड एसोसिएट ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकर्स (सीएआईआईबी-II) दोनों भागों में उत्तीर्णता प्राप्त की हो । | (i) वेतनमान के अधिकतम स्तर तक पहुंचने के एक वर्ष बाद रु. 1370/- प्रति माह;<br>(ii) वेतनमान के अधिकतम स्तर पर पहुंचने के दो वर्ष बाद रु. 3425/- प्रति माह; तथा<br>(iii) वेतनमान के अधिकतम स्तर तक पहुंचने के तीन वर्ष बाद रु.5480/- प्रति माह: |

बशर्ते कि वेतनमान के अधिकतम स्तर पर पहुंचने के बाद भारतीय बैंकर्स संस्थान के जूनियर एसोसिएट या भारतीय बैंकर्स संस्थान के सर्टिफाइड एसोसिएट (दोनों में से कोई एक या दोनों भाग) योग्यता प्राप्त करने वाले अधिकारी को ऐसी योग्यता प्राप्त करने की तारीख से व्यावसायिक योग्यता वेतन की पहली किस्त दी जाएगी और व्यावसायिक योग्यता वेतन की बाद की किस्तों की रिहाई व्यावसायिक योग्यता वेतन की पहली किस्त की रिहाई की तारीख के संदर्भ में होगी ।"

(iii) नोट में, खंड (v) के पश्चात, निम्नलिखित खंड सम्मिलित किए जाएंगे, अर्थात्: -

"(vi) वे जो 01 नवम्बर, 2022 तक बैंक की सेवाओं में थे और जिन्होंने पहले ही जेएआईआईबी (सीएआईआईबी-I) या सीएआईआईबी (सीएआईआईबी II) पूरा कर लिया है और व्यावसायिक योग्यता वेतन-II प्राप्त कर रहे हैं, वे व्यावसायिक योग्यता वेतन-II जारी होने के एक वर्ष बाद या 1 नवम्बर, 2022 से, जो भी बाद में हो, व्यावसायिक योग्यता वेतन-III के लिए पात्र होंगे ।"

(vii) जिन अधिकारियों ने जेएआईआईबी (सीएआईआईबी-I) या सीएआईआईबी (सीएआईआईबी-II) पूरा कर लिया है और 1 नवम्बर, 2022 को या उससे पहले वेतनमान में अधिकतम तक पहुंच गए हैं और 1 नवम्बर, 2022 को या उससे पहले पहली गतिरोध वेतन वृद्धि प्राप्त नहीं की है, वे 1 नवम्बर, 2022 से व्यावसायिक योग्यता वेतन-I के लिए पात्र होंगे और व्यावसायिक योग्यता वेतन की बाद की किस्त की रिहाई इस खंड के तहत व्यावसायिक योग्यता वेतन। की रिहाई की तारीख के संदर्भ में होगी ।

(viii) स्केल VIII के अधिकारी व्यावसायिक योग्यता वेतन के लिए पात्र नहीं होंगे और यह वेतन पर्ची घटक का हिस्सा नहीं होगा ।"

(सी) उप-विनियम (3) में, —

(i) खंड (जी) के बाद का नोट हटा दिया जाएगा;
(ii) खंड (जी) के पश्चात् निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"(एच) 1 नवम्बर, 2022 से, अन्य चीजें समान होने पर, मकान किराया भत्ते के साथ निर्धारित निजी वेतन निम्नलिखित दरों पर होगा और सेवा की पूरी अवधि के लिए स्थिर रहेगा:-

**तालिका**

| **वेतन वृद्धि घटक (रु.)** | **महंगाई भत्ता 1 नवम्बर, 2022 को वेतन वृद्धि घटकों पर (रु.)** | **कुल निश्चित निजी भुगतान देय है जहां बैंक द्वारा आवास उपलब्ध कराया गया है (रु.)** |
|---|---|---|
| **(1)** | **(2)** | **(3)** |
| 2680 | 200 | 2880 |
| 2980 | 222 | 3202 |
| 3360 | 250 | 3610 |
| 3680 | 274 | 3954 |
| 4000 | 298 | 4298 |
| 4340 | 323 | 4663 |

(आई) अन्य चीजें समान होने पर, शीर्षस्थ कार्यपालक ग्रेड स्केल-VIII में मुख्य महा प्रबंधक के पद के लिए मकान किराया भत्ते के साथ-साथ निर्धारित निजी वेतन नीचे दी गई तालिका में दी गई दरों पर होगा और पूरी सेवा अवधि के लिए स्थिर रहेगा: -

**तालिका**

| **वेतन वृद्धि घटक (रु.)** | **महंगाई भत्ता वृद्धि घटकों पर (रु.)** | **कुल निश्चित निजी भुगतान देय है जहां बैंक द्वारा आवास उपलब्ध कराया गया है (रु.)** |
|---|---|---|
| **(1)** | **(2)** | **(3)** |
| 9000 | 669 | 9669 |

नोट:

(ए) के कॉलम (3) के उप-विनियमन के खंड (बी), (सी), (डी), (ई), (एफ), (जी), (एच) और (आई) में सारणी के अंतर्गत निर्दिष्ट निश्चित वैयक्तिक भत्ता या निश्चित वैयक्तिक वेतन उन अधिकारियों को देय होगा, जिन्हें बैंक आवास उपलब्ध कराया गया है।

(बी) जो अधिकारी आवास किराया भत्ते के लिए पात्र होंगे उनके लिए विनिर्दिष्ट निजी भत्ता या विनिर्दिष्ट निजी वेतन, सम्बन्धित अधिकारी द्वारा प्राप्त किया जा रहा आवास किराया भत्ता जो उसे विनियम 4 के उप-विनियम (2), (3), (4),(5), (6), (7), (8) व (9) में निर्दिष्ट समुचित वेतनमान के अंतिम वेतनवृद्धि के समय प्राप्त हो रहा होगा और उपर्युक्त वर्णित सारणी के कॉलम (1) व (2) के अंतर्गत विनिर्दिष्ट कुल राशि होगी।

(सी) केवल ऐसे अधिकारी जो नवम्बर , 1993 को या उससे पहले बैंक में कार्यरत हों, वे अपने अधिकतम वेतनमान तक पहुंचने के एक वर्ष बाद निश्चित वैयक्तिक वेतन के लिए पात्र होंगे।

(डी) 1 नवम्बर 1999 से, निश्चित निजी वेतन जारी होने के कारण उप-विनियम (2) के स्पष्टीकरण (सी) के अनुसार व्यावसायिक योग्यता वेतन निर्गमित करने की समय अवधि में कोई बदलाव नहीं होगा:
बशर्ते कि जहां व्यावसायिक योग्यता वेतन की कोई भी किस्त, जो पहले के प्रावधानों के कारण एक वर्ष के लिए आगे बढ़ा दी गई हो और जो 1 नवम्बर, 1999 को या उसके बाद जारी करने के लिए निर्धारित है, वह इस तिथि से अधिकारी को निर्गमित की जाएगी और व्यावसायिक योग्यता वेतन की दूसरी किस्त, यदि कोई हो, 1 नवम्बर, 2000 को जारी की जाएगी ।

(ए) निश्चित निजी भत्ते या निश्चित निजी वेतन के वेतन वृद्धि घटकों का उपयोग सेवानिवृत्ति लाभों की गणना हेतु किया जाएगा।

(बी) उपर्युक्त उपबंध (ए) के अनुसार यदि किसी अधिकारी ने अग्रिम वेतनवृद्धि हासिल कर ली है तो उसे वेतनमान के अधिकतम स्तर पर पहुंचने के एक वर्ष पश्चात् इस उप-विनियम के खंड बी), (सी), (डी), (ई), (एफ), (जी), (एच) और (आई) में वर्णितानुसार निर्धारित निजी भत्ता/ निर्धारित निजी वेतन की प्रमात्रा का भुगतान उसे स्केल में सर्वोच्च पर पहुंचने के एक साल बाद ही प्रदान किया जाएगा।"

5. विनियम 7 के स्थान पर निम्नलिखित विनियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

" **7 . नियत तिथि पर वर्गीकरण.—** (1) नियत तिथि को विनियम 6 के प्रावधानों के अधीन रहते हुए बैंक में अधिकारियों के विभिन्न पदों को नीचे दी गई तालिका में निर्दिष्ट अनुसार वर्गीकृत किया जाएगा:

**तालिका**

| पद | ग्रेड या स्केल जिसमें वर्गीकृत किया गया |
|---|---|
| (1) | (2) |
| मुख्य महा प्रबंधक | शीर्ष कार्यपालक ग्रेड – स्केल VIII |
| महा प्रबंधक | शीर्ष कार्यपालक ग्रेड - स्केल VII |
| उप महाप्रबंधक | शीर्ष कार्यपालक ग्रेड - स्केल VI |
| सहायक महा प्रबंधक | वरिष्ठ प्रबंधन ग्रेड – स्केल V |
| मुख्य प्रबंधक | वरिष्ठ प्रबंधन ग्रेड – स्केल IV |
| वरिष्ठ प्रबंधक | मध्य प्रबंधन ग्रेड – स्केल III |
| प्रबंधक | मध्य प्रबंधन ग्रेड – स्केल II |
| सहायक प्रबंधक | जूनियर मैनेजमेंट ग्रेड – स्केल I: |

बशर्ते कि यदि उपर्युक्त वर्गीकरण से कोई विसमता अथवा कोई विसंगति उत्पन्न होती है, तो उसे प्रबंध निदेशक व मुख्य कार्यपालक अधिकारी तथा ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों, जिन्हें केन्द्रीय सरकार द्वारा इस प्रयोजन के लिए नियुक्त किया जाए, से मिलकर बनी समिति के निर्णय हेतु भेजा जाएगा।"

6. उक्त विनियमनों के विनियमन 21 में, उप -विनियम (7) के पश्चात, नामतः निम्नलिखित उप-विनियम (8) सम्मिलित किया जाएगा, अर्थात्: -

"(8) 1 नवम्बर, 2022 से , —

(ए) महंगाई भत्ता सूचकांक के प्रतिशत बिंदु के आधार पर वेतन का 1 प्रतिशत देय होगा;

(बी) औद्योगिक कर्मकारों के लिए महंगाई भत्ते का भुगतान आल इंडिया कंज़्यूमर प्राइज़ इंडेक्स (सीपीआई) आधार 2016 = 100.01 के तिमाही औसत में 123.03 अंकों से अधिक की वृद्धि या गिरावट के प्रत्येक परिवर्तन के लिए उपर्युक्त तरीके से किया जाएगा । सीपीआई 2016 के प्रत्येक दूसरे दशमलव स्थान पर 123.03 अंकों से अधिक परिवर्तन के लिए वेतन पर महंगाई भत्ते में 0.01 प्रतिशत का परिवर्तन होगा;
(सी) महंगाई भत्ते की दर में परिवर्तन नामतः त्रैमासिक आधार पर 1 मई , 1 अगस्त , 1 नवम्बर और 1 फरवरी को निम्नलिखित के आधार पर जारी किया जाएगा, अर्थात्:-

| **डीए निर्गम की तारीख** | **महीनों के सीपीआई अंकों का त्रैमासिक औसत** | **महीने के लिए लागू** |
|---|---|---|
| 1 मई | जनवरी, फरवरी और मार्च | मई, जून और जुलाई |
| 1 अगस्त | अप्रैल, मई और जून | अगस्त, सितम्बर और अक्टूबर |
| 1 नवम्बर | जुलाई, अगस्त और सितम्बर | नवम्बर, दिसम्बर और जनवरी |
| 1 फरवरी | अक्टूबर, नवम्बर और दिसम्बर | फरवरी, मार्च और अप्रैल; |

(ए) महंगाई भत्ते की कोई अधिकतम सीमा नहीं होगी;
(बी) त्रैमासिक औसत निकालते समय केवल पहले दो दशमलवों पर विचार किया जाएगा।

व्याख्या— इस उप-विनियमन के प्रयोजन हेतु, —

(ए) महंगाई भत्ते के प्रयोजन के लिए "वेतन" का तात्पर्य स्टैग्नेशन वेतन वृद्धि सहित मूल वेतन से होगा।

(बी) विनियम 5 के उप-विनियम (2) में स्पष्टीकरण के खंड (सी), (डी), (ई), (एफ), (जी), (एच) और (आई) में निर्दिष्ट व्यावसायिक योग्यता भत्ता या व्यावसायिक योग्यता वेतन को महंगाई भत्ते के लिए गणना में लिया जाएगा।

7. उक्त विनियमनों के विनियमन 22 में, उप-विनियम (1) के स्थान पर निम्नलिखित उप-विनियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

(1) 1 नवम्बर, 2022 से ,–

(ए) यदि किसी अधिकारी को बैंक द्वारा आवासीय सुविधा प्रदान की जाती है तो स्केल के वेतनमान के प्रथम चरण के मूल वेतन के 0.35 प्रतिशत के बराबर राशि अथवा आवास के लिए मानक किराया, जो भी कम हो, की वसूली की जाएगी;

(बी) यदि किसी अधिकारी को बैंक द्वारा कोई आवासीय सुविधा उपलब्ध नहीं कराई जाती है, वह निम्नलिखित तालिका में निर्दिष्ट दरों पर मकान किराया भत्ते के लिए पात्र होगा, अर्थात: -

**तालिका**

| **कार्यस्थल** | **मकान किराया भत्ता** |
|---|---|
| **(1)** | **(2)** |
| (i) प्रमुख "ए" श्रेणी के शहर और परियोजना क्षेत्र केंद्र ग्रुप ए में | वेतन का 10.0% |
| (ii) क्षेत्र। और अन्य स्थान, ग्रुप बी में परियोजना क्षेत्र | वेतन का 9.0% |

| | |
|---|---|
| के केंद्र और गोवा राज्य में | |
| (iii) अन्य स्थान | वेतन का 8.0%: |

बशर्ते कि यदि कोई अधिकारी किराये की रसीद प्रस्तुत करता है तो उसे देय मकान किराया भत्ता, उसके द्वारा आवासीय आवास के लिए भुगतान किया गया वास्तविक किराया होगा जो उस वेतनमान के प्रथम चरण में मूल वेतन के 0.35 प्रतिशत से अधिक होगा जोकि तथा उपर्युक्त सारणी के कॉलम (2) में उल्लिखित दरों के अनुसार देय मकान किराया भत्ते का अधिकतम 150 प्रतिशत के अधीन है ।

**टिप्पणी** :- अधिकारियों के अपने स्वामित्व आवास की लागत से जुड़े मकान किराया भत्ते के दावे भी पूर्व की तरह मकान किराया भत्ते के 150 प्रतिशत तक सीमित होंगे ।

8. उक्त विनियमनों के विनियमन 23 में,

(ए) खंड (i) और (ii) के स्थान पर क्रमशः निम्नलिखित खंड नामतः प्रतिस्थापित किए जाएंगे, अर्थात्:-

1 नवम्बर, 2022 से , यदि कोई अधिकारी नीचे दी गई तालिका के कॉलम (1) में उल्लिखित स्थान पर सेवा कर रहा है, तो उस स्थान के सामने दिए गए कॉलम (2) में उल्लिखित दर पर शहर प्रतिपूरक भत्ता देय होगा।

**तालिका**

| **स्थानों** | **दर** |
|---|---|
| (1) | (2) |
| (i) एरिया 1 और उससे ऊपर के स्थान तथा गोवा राज्य | रु. 2300/- प्रति माह |
| (ii) पांच लाख और उससे अधिक जनसंख्या वाले स्थान तथा राज्य की राजधानियाँ तथा चंडीगढ़, पुडुचेरी और पोर्ट ब्लेयर | रु. 1900/- प्रति माह. |

(ii) 1 नवम्बर, 2022 से विशेष क्षेत्र भत्ते की दरें इन विनियमों की निर्दिष्ट अनुसूची के अनुसार होंगी:

परन्तु जहां अनुसूची के कॉलम (1) में निर्दिष्ट किसी स्थान पर खंड (x) के अधीन उपबंधित पर्वतीय और ईंधन भत्ता भी देय है, वहां अधिकारी दोनों भत्तों में से केवल उच्चतर भत्ता लेने के लिए पात्र होगा, दोनों नहीं।"

(बी) खंड (iv), (v), (vi) और (vii) के स्थान पर क्रमशः निम्नलिखित खंड प्रतिस्थापित किए जाएंगे, अर्थात्:-

(iv) 1 अप्रैल, 2024 से, यदि किसी अधिकारी को शैक्षणिक वर्ष के मध्य में एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित किया जाता है और यदि उसके एक या एक से अधिक बच्चे पूर्व स्थान पर स्कूल या कॉलेज में पढ़ रहे हैं, तो वह स्थानांतरण वाले स्थान पर रिपोर्ट करने की तिथि से शैक्षणिक वर्ष के अंत तक अधिकतम दो बच्चों हेतु प्रति बच्चा 2500/- रुपये प्रति माह की दर से मध्य-शैक्षणिक वर्ष स्थानांतरण भत्ते के लिए पात्र होगा,:

परन्तु यदि सभी बच्चे पूर्व स्थान पर पढ़ना करना बंद कर दें तो ऐसा भत्ता देय नहीं होगा।

(v) 1 अप्रैल, 2024 से , यदि किसी अधिकारी को बैंक के बाहर सेवा करने के लिए प्रतिनियुक्त किया जाता है, तो वह प्रतिनियुक्त किए जाने वाले पद से जुड़ी परिलब्धियां प्राप्त करने का विकल्प चुन सकता है, या वह अपने वेतन के अतिरिक्त, वेतन के 7.75 प्रतिशत की दर से प्रतिनियुक्ति भत्ता प्राप्त कर सकता है, जो अधिकतम 7500/- रुपये प्रति माह और ऐसे अन्य भत्ते जो उसे उस स्थान पर बैंक की सेवा में तैनात होने पर मिलते:

बशर्ते कि जहां ऐसे अधिकारी को किसी ऐसे संगठन में प्रतिनियुक्त किया जाता है जो उसी स्थान पर स्थित है या किसी ऐसे प्रशिक्षण प्रतिष्ठान में जो बैंक के स्वामित्व में नहीं है, जहां वह अपनी प्रतिनियुक्ति से तुरंत पहले तैनात था या किसी ऐसे प्रशिक्षण प्रतिष्ठान में जो बैंक के स्वामित्व में नहीं है, तो उसे अपने वेतन के 4 प्रतिशत के बराबर प्रतिनियुक्ति भत्ता मिलेगा जो अधिकतम रुपए 3750/- प्रति माह होगा:

बशर्ते कि मेट्रो या प्रमुख ए श्रेणी के शहरों में जहां ऐसी प्रतिनियुक्ति की दूरी मूल शाखा या कार्यालय से 20 किलोमीटर और अधिक है और जहां उस अधिकारी को उसी नगरपालिका सीमा या शहरी समूह के भीतर किसी अन्य कार्यालय या शाखा में प्रतिनियुक्त किया जाता है, वह विनियम 41 के उप-विनियम (4) में उल्लिखित ठहराव भत्ते के लिए पात्र होगा।

(vi) 1 अप्रैल, 2024 से, यदि किसी अधिकारी को उच्चतर वेतनमान के किसी पद पर एक बार में कम से कम चार दिन या एक कैलेंडर माह में कुल मिलाकर चार दिन की निरंतर अवधि के लिए स्थानापन्न कार्य करने की आवश्यकता होती है, तो उसे अपने मूल वेतन के 15 प्रतिशत के बराबर स्थानापन्न भत्ता मिलेगा, जो उस अवधि के लिए आनुपातिक होगा जिसके लिए वह स्थानापन्न कार्य करता है और स्थानापन्न भत्ता केवल भविष्य निधि और पेंशन के प्रयोजनों के लिए वेतन के रूप में गणना में लिया जाएगा:

बशर्ते कि, जहां कोई अधिकारी विनियम 6 के अधीन पदों के वर्गीकरण की समीक्षा के परिणामस्वरूप उच्चतर वेतनमान में स्थानापन्न के रूप में कार्य करने आता है, तो वह वर्गीकरण की समीक्षा प्रभावी होने की तारीख से एक वर्ष की अवधि के लिए स्थानापन्न भत्ते के लिए पात्र नहीं होगा।

(vii) 1 अप्रैल, 2024 से अधिकारी प्रत्येक समापन के लिए प्रति तिमाही 1500/- रुपए के क्लोजिंग भत्ते के लिए पात्र होंगे।"

(सी) खंड (x), (xi), (xii) और (xiii) के स्थान पर क्रमशः निम्नलिखित खंड प्रतिस्थापित किए जाएंगे, अर्थात्:-

"( x) 1 नवम्बर , 2022 से , कोई भी अधिकारी नीचे दी गई तालिका में निर्दिष्ट अनुसार पहाड़ी और ईंधन भत्ते के लिए पात्र होगा, अर्थात:-

**तालिका**

| स्थान | दर |
|---|---|
| **(1)** | **(2)** |
| (i) 1000 मीटर और उससे अधिक लेकिन 1500 मीटर से कम ऊंचाई वाला स्थान और मर्कारा शहर | वेतन का 2 प्रतिशत, अधिकतम 1450/- रुपये प्रति माह |
| (ii) 1500 मीटर या उससे अधिक परंतु 3000 मीटर से कम ऊंचाई वाला स्थान | वेतन का 2.5 प्रतिशत, अधिकतम 1900/- रुपये प्रति माह |
| (iii) 3000 मीटर या उससे अधिक ऊंचाई वाला स्थान | वेतन का 5 प्रतिशत, अधिकतम 3750/- रूपये प्रति माह। |

(xi) अधिकारी 1 नवम्बर, 2022 से महंगाई भत्ते के साथ-साथ 850/- रुपये प्रति माह के शिक्षण भत्ते के लिए पात्र होंगे।

नोट: लागू महंगाई भत्ते के साथ लागू शिक्षण भत्ते को अधिवर्षिता लाभों, अर्थात् डिफ़ाइंड कॉन्ट्रीब्यूशन पेंशन योजना, नई पेंशन योजना (एनपीएस), भविष्य निधि और ग्रेच्युटी सहित पेंशन के लिए गणना में नहीं लिया जाएगा।

(xii) अधिकारी जो शहर प्रतिपूरक भत्ते के लिए पात्र क्षेत्रों के अलावा अन्य क्षेत्रों में तैनात हैं, 1 नवम्बर, 2022 से 1200/- रुपये प्रति माह के निश्चित स्थान भत्ते के लिए पात्र होगा, जिसे महंगाई भत्ते, सेवानिवृत्ति लाभ, अर्थात् डिफ़ाइंड कॉन्ट्रीब्यूशन पेंशन योजना, नई पेंशन योजना (एनपीएस), भविष्य निधि और ग्रेच्युटी सहित पेंशन के भुगतान के लिए नहीं गिना जाएगा।

(xiii) (ए) वित्तीय वर्ष 2023-24 से सभी अधिकारी कर्मचारियों को बैंक के सक्षम प्राधिकारी द्वारा उनकी प्राथमिकताओं के अनुसार चयनित निम्नलिखित मापदंडों के आधार पर निष्पादन आधारित प्रोत्साहन (पीएलआई) देय होगा:

(i) चालू खाता बचत खाता (ii) अनर्जक परिसंपत्ति (iii) स्पेशल मेनशन खाते (iv) गैर-ब्याज आय (v) कुल व्यवसाय (vi) लाभप्रदता (vii) परिसंपत्ति पर रिटर्न या इक्विटी पर रिटर्न (viii) सरकारी योजनाएँ।

(बी) निष्पादन संबद्ध सूचकांक राशि खण्ड (ए) में उल्लिखित सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्धारित मानदंडों के आधार पर वेतन (मूल वेतन+महंगाई भत्ता) के 0-15 (अधिकतम) दिनों में देय होगी।

9. उक्त विनियमनों के विनियम 24 में,–

(ए) उप-विनियम (1) के स्थान पर नामतः निम्नलिखित उप-विनियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"(1) कोई अधिकारी 1 नवम्बर 2022 से अधिकारी स्वयं तथा परिवार के लिए चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति के लिए पात्र होगा, बशर्ते कि अधिकारी द्वारा स्वयं के प्रमाण पत्र में दावा की गई राशि के लिए लेखा विवरण के साथ समर्थित व्यय किए जाने का प्रमाण पत्र हो, जैसा कि नीचे दी गई तालिका में निर्दिष्ट है, अर्थात् :-

**तालिका**

| **श्रेणी** | **प्रतिपूर्ति की अधिकतम सीमा** |
|---|---|
| **(1)** | **(2)** |
| कनिष्ठ प्रबंधन और मध्य प्रबंधन ग्रेड | रु.13000/- प्रति वर्ष या व्यय की गई राशि, जो भी कम हो |
| वरिष्ठ प्रबंधन और शीर्ष कार्यपालक ग्रेड | 15400/- रूपये प्रतिवर्ष या व्यय की गई राशि, जो भी कम हो। |

**टिप्पणी 1:** - किसी अधिकारी को उपर्युक्त अप्रयुक्त चिकित्सा सहायता को संचित करने की अनुमति दी जा सकती है, जो किसी भी समय ऊपर दी गई अधिकतम राशि से तीन गुना अधिक नहीं होगी।

**नोट 2** :- कैलेंडर वर्ष 2022 के लिए, चिकित्सा सहायता योजना के अंतर्गत चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति दो महीने अर्थात् नवम्बर, 2022 और दिसम्बर, 2022 के लिए आनुपातिक रूप से बढ़ाई जाएगी।"

(बी) उप-विनियम (3) के पश्चात् नामतः निम्नलिखित उप-विनियम जोड़ा जाएगा, अर्थात्:-

"(4) सभी अधिकारी कर्मचारी नेत्र जांच के लिए 500/- रुपये प्रति वर्ष की प्रतिपूर्ति के लिए भी पात्र होंगे।"

10. उक्त विनियमन के विनियमन 25 में, उप-विनियम (2) के स्थान पर नामतः निम्नलिखित उप-विनियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् : -

"(2) उप-विनियम (1) में निहित किसी भी बात के होते हुए भी, बैंक किसी अधिकारी को आवासीय सुविधा उपलब्ध कराने के लिए स्वतंत्र होगा, जिसके लिए अधिकारी को 1 नवम्बर, 2022 से वेतनमान के प्रथम चरण में मूल वेतन के 0.35 प्रतिशत के बराबर राशि या आवास के लिए मानक किराया, जो भी कम हो, का भुगतान करना होगा:

बशर्ते कि जहां अधिकारी को ऐसे आवास पर फर्नीचर उपलब्ध कराया गया हो, वहां बैंक द्वारा वेतनमान के प्रथम चरण में मूल वेतन के 0.075 प्रतिशत के बराबर अतिरिक्त राशि उससे वसूल की जाएगी:

बशर्ते कि जहां ऐसी आवासीय सुविधा बैंक द्वारा उपलब्ध कराई गई हो, जहां बिजली, पानी, गैस और सफाई के लिए व्यय अधिकारी द्वारा वहन किया जाएगा।"

11. उक्त विनियमनों के विनियम 31 में नामतः निम्नलिखित परंतुक जोड़ा जाएगा, अर्थात्:-

"बशर्ते कि जहां मंजूरीकर्ता प्राधिकारी अधिकारी की छुट्टी देने से इंकार कर दे या उसे स्थगित कर दे, वहां मंजूरीकर्ता प्राधिकारी को लिखित में इसके कारण दर्ज करना होगा।"

12. उक्त विनियमनों के विनियमन 32 में, उप-विनियम (2) के पश्चात्, नामतः निम्नलिखित उप-विनियम जोड़ा जाएगा, अर्थात्:-

"(3) 1 अप्रैल 2024 से, कोई भी अधिकारी एक वर्ष में चार अवसरों पर आधे दिन के लिए दो दिन की आकस्मिक छुट्टी लेने के लिए पात्र होगा, जिसमें से दो अवसर सुबह और दो अवसर दोपहर में होंगे:

बशर्ते कि इस श्रेणी के अंतर्गत आकस्मिक अवकाश का लाभ 24 घंटे पहले आवेदन करने के बाद लिया जाएगा।

आगे यह भी प्रावधान किया जाता है कि आकस्मिक अवकाश की शेष राशि को अप्रयुक्त आकस्मिक अवकाश खाते में ले जाते समय, शेष का आधा अवकाश, यदि कोई हो तो उसे नजरअंदाज कर दिया जाएगा।"

13. उक्त विनियमनों के विनियमन 33 में,-

(ए) उप-विनियम (4) और (5) के स्थान पर क्रमशः नामतः निम्नलिखित उप-विनियम प्रतिस्थापित किए जाएंगे, अर्थात्:-

"(4) 1 जून, 2015 से अधिकतम दो सौ सत्तर दिन तक का अर्जित अवकाश संचित किया जा सकेगा, सिवाय उन मामलों को छोड़कर जहां अवकाश के लिए आवेदन किया गया हो और उसे अस्वीकार कर दिया गया हो:

1 अप्रैल , 2024 से अर्जित अवकाश का नकदीकरण अधिकतम दो सौ पचपन दिन तक सीमित रहेगा:

आगे यह भी प्रावधान किया जाता है कि कोई अधिकारी अपनी पसंद के किसी भी त्यौहार के समय प्रत्येक कैलेण्डर वर्ष के लिए पांच दिन की दर से अर्जित अवकाश के नकदीकरण के लिए भी पात्र होगा तथा कोई अधिकारी जो पचपन वर्ष या उससे अधिक की आयु पूरी कर चुका है, अपनी सेवानिवृत्ति तक प्रत्येक कैलेण्डर वर्ष के लिए सात दिन की दर से अर्जित अवकाश के नकदीकरण के लिए पात्र होगा।

(5) अर्जित अवकाश लेने की इच्छा रखने वाले अधिकारी को सामान्यतः अवकाश किराया रियायत के प्रयोजन के सिवाय ऐसे अवकाश लेने की अपनी इच्छा के कम से कम दस दिन पहले सूचना देनी होगी:

बशर्ते कि 1 अप्रैल, 2024 से किसी पंजीकृत ट्रेड यूनियन के पदाधिकारियों और कार्यकारी समिति के सदस्यों के लिए अर्जित अवकाश लेने के लिए 10 दिन की कोई अग्रिम सूचना की आवश्यकता नहीं होगी।"

(बी) उप-विनियम (6) के पश्चात् निम्नलिखित उप-विनियम जोड़ा जाएगा, अर्थात्:-

(7) 1 अप्रैल, 2024 से अर्जित अवकाश की गणना के प्रयोजनों के लिए आकस्मिक अवकाश और अनिवार्य अवकाश को छोड़कर सभी प्रकार के अवकाश को गणना में नहीं लिया जाएगा।"

14. क्त विनियमनों के विनियमन 34 में,—

(ए) उप-विनियम (1) में अर्थात निम्नलिखित परंतुक जोड़े जाएंगे, अर्थात्:-

"बशर्ते कि 1 अप्रैल, 2024 से कोई अधिकारी सेवा के प्रत्येक वर्ष के लिए एक माह की दर से बीमारी अवकाश के लिए पात्र होगा:

बशर्ते कि अधिकारी की संपूर्ण सेवा में बीमारी अवकाश की कुल संख्या (विनियम 35 में उल्लिखित अतिरिक्त बीमारी अवकाश सहित) सात सौ बीस दिन (720 दिन) से अधिक नहीं होगी।"

(बी) उप-विनियम (5) के पश्चात् नामतः निम्नलिखित उप-विनियम अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात्:-

(6) 1 अप्रैल, 2024 से एकल पुरुष अभिभावक कर्मचारी अपने आठ वर्ष या उससे कम उम्र के बच्चों की बीमारी के लिए चिकित्सा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के अधीन बीमारी अवकाश का लाभ उठा सकते हैं।

(7) 1 अप्रैल, 2024 से महिला कर्मचारी बिना चिकित्सा प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किए प्रति माह एक दिन का बीमारी अवकाश ले सकेंगी।

(8) 1 अप्रैल 2024 से, अधिकारी कर्मचारी अपने पंद्रह वर्ष या उससे कम आयु के विशेष आवश्यकता वाले बच्चे की बीमारी के लिए चिकित्सा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने की शर्त पर एक कैलेंडर वर्ष में अधिकतम दस दिनों की अवधि के लिए बीमारी अवकाश का लाभ उठा सकते हैं।

(9) 1 अप्रैल, 2024 से अट्ठावन वर्ष या उससे अधिक आयु के अधिकारी कर्मचारी, एक कैलेंडर वर्ष में अधिकतम तीस दिनों की अवधि के लिए कार्यस्थल के अलावा किसी अन्य केंद्र पर अपने पति/पत्नी के अस्पताल में भर्ती होने पर बीमारी अवकाश का लाभ उठा सकते हैं।"

15. उक्त विनियमन के विनियमन 36 के उप-विनियम (1) में ,—

(ए) खंड (ए) के स्थान पर नामतः निम्नलिखित खंड प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"(ए) कोई महिला अधिकारी कर्मचारी अपनी सम्पूर्ण सेवा अवधि के दौरान किसी एक अवसर पर अधिकतम छह माह की अवधि के लिए तथा अधिकतम बारह माह के लिए पद का मूल वेतन पर मातृत्व अवकाश के लिए पात्र होंगी:

बशर्ते कि जुड़वा बच्चों के जन्म के मामले में मातृत्व अवकाश की अवधि आठ माह होगी:

बशर्ते कि 1 अप्रैल, 2024 से एक ही प्रसव में दो से अधिक बच्चों के जन्म की स्थिति में मातृत्व अवकाश की अवधि बारह महीनों की होगी:

बशर्ते कि मातृत्व अवकाश का लाभ आकस्मिक अवकाश को छोड़कर किसी भी अन्य प्रकार के अवकाश के साथ मिलाकर लिया जा सकता है;

(बी). खंड (डी) के स्थान पर निम्नलिखित खंड प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

(डी) एक निःसंतान महिला कर्मचारी एक वर्ष से कम उम्र के बच्चे को कानूनी रूप से गोद लेने के लिए सेवा के दौरान एक बार अधिकतम नौ महीने की अवधि के लिए निम्नलिखित नियमों और शर्तों के अधीन छुट्टी ले सकती है, अर्थात्: -

i. केवल एक बच्चे को गोद लेने के लिए ली गई छुट्टी;
ii. बच्चे को गोद लेना उचित कानूनी प्रक्रिया के माध्यम से होगा, कर्मचारी को ऐसी छुट्टी की मंजूरी के लिए बैंक को गोद लेने का दस्तावेज प्रस्तुत करना होगा;
iii. यह छुट्टी उन मामलों में जैविक मां को भी उपलब्ध होगी जहां बच्चे का जन्म सरोगेसी के माध्यम से हुआ है;
iv. सेवा की पूरी अवधि के दौरान बारह महीने की समग्र पात्रता के भीतर छुट्टी का लाभ उठाया जाएगा;

(सी). खंड (ई) के पश्चात निम्नलिखित खंड जोड़ा जाएगा, अर्थात्:-

"(एफ) 1 अप्रैल, 2024 से, बारह महीने की समग्र सीमा के भीतर चिकित्सा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के अधीन इन विट्रो प्रजनन (आईवीएफ) उपचार के लिए मातृत्व अवकाश का लाभ उठाया जा सकेगा।

(जी) 1 अप्रैल, 2024 से, शिशु के मृत जन्म या जन्म के अट्ठाईस दिनों के भीतर शिशु की मृत्यु की स्थिति में महिला कर्मचारी द्वारा साठ दिनों तक विशेष मातृत्व अवकाश का लाभ उठाया जा सकेगा।"

16. उक्त विनियमों के विनियम 37ए के स्थान पर, निम्नलिखित विनियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

**37ए - विशेष आकस्मिक अवकाश एवं विशेष अवकाश -**

(1) 1 नवम्बर 2020 से, एक अधिकारी कर्मचारी उन अवसरों पर विशेष आकस्मिक अवकाश के लिए पात्र होगा जब वह शाखा जहाँ अधिकारी काम कर रहा है या वह स्थान जहाँ वह निवास कर रहा है, कर्फ्यू, दंगों, निषेधात्मक आदेशों, बाढ़ आदि प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित है।

(2) 1 नवम्बर, 2020 से, शारीरिक या अस्थि विकलांग अधिकारी चार दिनों के विशेष आकस्मिक अवकाश के लिए पात्र होगा।

(3) 1 अप्रैल, 2024 से अखिल भारतीय अधिकारी संघों या एसोसिएशनों के प्रधान पदाधिकारियों को एक कैलेंडर वर्ष में पच्चीस दिन तक का विशेष अवकाश प्रदान किया जाएगा।

(4) 1 अप्रैल, 2024 से विभागीय जांच में बचाव प्रतिनिधि अधिकारी, किसी अधिकारी कर्मचारी का बचाव प्रस्तुतीकरण तैयार करने के उद्देश्य से एक दिन का विशेष अवकाश ले सकते हैं:

बशर्ते कि ऐसी विशेष छुट्टी एक वर्ष में अधिकतम दस अवसरों पर ली जा सकेगी।

(5) किसी अधिकारी को विशेष आकस्मिक अवकाश और समय-समय पर केंद्र सरकार द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार बोर्ड द्वारा तय की गई कोई विशेष छुट्टी भी दी जा सकती है।

17. उक्त विनियमों के विनियम 37ए के पश्चात् निम्नलिखित विनियम को जोड़ा जाएगा, अर्थात्:-

**'37बी. शोक अवकाश**.- किसी अधिकारी कर्मचारी को उसके परिवार के सदस्यों (पति/पत्नी, बच्चे, माता-पिता और सास-ससुर) की मृत्यु पर बोर्ड द्वारा समय-समय पर निर्धारित दिनों के लिए शोक अवकाश प्रदान किया जाएगा।

बशर्ते कि बीच की छुट्टियां शोक अवकाश का हिस्सा होंगी:

साथ ही यह भी प्रावधान है कि उक्त अवकाश का उपयोग मृत्यु के अधिकतम 15 दिनों के भीतर किया जाना चाहिए:

इसके अलावा यह भी प्रावधान है कि उक्त अवकाश को "विशेषाधिकार अवकाश" की गणना के प्रयोजन के लिए "सक्रिय सेवा" नहीं माना जाएगा।'

18. उक्त विनियमों के विनियम 41 में-

(ए) उप-विनियम (1) के स्थान पर निम्नलिखित उप-विनियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"(1) 1 अप्रैल, 2024 से, जहाँ भी किसी अधिकारी को ड्यूटी पर यात्रा करने की आवश्यकता होती है, वहाँ निम्नलिखित प्रावधान लागू होंगे, अर्थात्:

(ए) जूनियर मैनेजमेंट ग्रेड का कोई अधिकारी राजधानी या शताब्दी या तेजस या वंदे भारत या अमृत भारत आदि जैसी प्रीमियम ट्रेनों सहित किसी भी ट्रेन (लक्जरी ट्रेनों को छोड़कर) में वातानुकूलित प्रथम श्रेणी से यात्रा करने का पात्र होगा:

बशर्ते कि ऐसा अधिकारी, हालांकि, व्यवसाय या सार्वजनिक हित की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमति दिए जाने पर हवाई जहाज (इकोनॉमी क्लास) से यात्रा कर सकता है;

(बी) मिडिल मैनेजमेंट ग्रेड का कोई अधिकारी खंड (ए) में उल्लिखित प्रीमियम ट्रेनों सहित किसी भी ट्रेन से वातानुकूलित प्रथम श्रेणी से यात्रा करने का पात्र होगा:

बशर्ते कि वह हवाई जहाज (इकोनॉमी क्लास) से यात्रा कर सकता है यात्रा की जाने वाली दूरी 500 किलोमीटर से अधिक है:

इसके अलावा, वह कम दूरी के लिए भी हवाई जहाज (इकोनॉमी क्लास) से यात्रा कर सकता है, यदि सक्षम प्राधिकारी द्वारा व्यवसाय या सार्वजनिक हित की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए इसकी अनुमति दी गई हो;

(सी) वरिष्ठ प्रबंधन या शीर्ष कार्यपालक ग्रेड का कोई अधिकारी खंड (ए) में उल्लिखित प्रीमियम ट्रेनों सहित किसी भी ट्रेन से वातानुकूलित प्रथम श्रेणी या हवाई जहाज (इकोनॉमी क्लास) से यात्रा करने का पात्र है;

(डी) वरिष्ठ प्रबंधन या शीर्ष कार्यपालक ग्रेड का कोई अधिकारी हवाई या रेल से न जुड़े स्थानों के बीच कार से यात्रा कर सकता है, बशर्ते कि दूरी 500 किलोमीटर से अधिक न हो:

बशर्ते कि जब दो स्थानों के बीच की दूरी का बड़ा हिस्सा हवाई या रेल द्वारा तय किया जा सकता है, तो केवल शेष दूरी को सामान्य रूप से कार द्वारा तय किया जाना चाहिए;

(ई) किसी भी अधिकारी को व्यवसाय की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए, अपने स्वयं के वाहन या टैक्सी या बैंक के वाहन से यात्रा करने के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा अधिकृत किया जा सकता है;

(एफ) किसी भी ग्रेड या स्केल का कोई अधिकारी सड़क या हवाई या रेल से न जुड़े स्थानों के बीच डीलक्स केबिन श्रेणी में जल परिवहन द्वारा यात्रा करने के लिए पात्र होगा;

(जी ) कोई अधिकारी प्रीमियम ट्रेनों (लक्जरी ट्रेनों को छोड़कर) द्वारा किराए के लिए पात्र होगा।

**नोट 1:-** ट्रेन किराए पर लगाए जाने वाले माल और सेवा कर शुल्क पात्रता से अतिरिक्त होंगे।

**टिप्पणी 2:-** प्रचलित गतिशील किराया प्रणाली के मद्देनजर, बुकिंग की तिथि को ली गई रेल टिकट की लागत की प्रतिपूर्ति की जाएगी।"

(बी) उप-विनियम (2) में, खंड (ii) के पश्चात् निम्नलिखित स्पष्टीकरण जोड़ा जाएगा, अर्थात्:-

" व्याख्या - इस खंड के प्रयोजन के लिए, 1 फरवरी 2023 से प्रति किलोमीटर की दर निम्नानुसार होगी:

| क्रमांक | वाहन का प्रकार | प्रति किमी प्रतिपूर्ति की संशोधित दर |
|---|---|---|
| 1. | चार पहिया वाहन- 1000 सीसी या उससे अधिक इंजन क्षमता | रु. 11.00/- |
| 2. | चार पहिया वाहन- 1000 सीसी से कम इंजन क्षमता | रु. 9.00/- |
| 3. | मोटर साइकिल और स्कूटर | रु. 6.00/- |
| 4. | मोपेड | रु. 4.00/-.". |

(सी) उप-विनियम (3) में, खंड (ए) और (बी) के स्थान पर निम्नलिखित खंड प्रतिस्थापित किए जाएंगे, अर्थात्:-

'(ए) 1 अप्रैल, 2024 से, तालिका के तालिका (1) में दिए गए ग्रेड या वेतनमान में कोई अधिकारी तालिका (2) में दी गई तदनुरूप दरों पर प्रतिदिन विराम भत्ते का पात्र होगा, अर्थात्:-

**तालिका**

| (1) | (2) | | | |
|---|---|---|---|---|
| **अधिकारियों के वेतन ग्रेड या वेतनमान** | **विराम भत्ता** | | | |
| | **मेट्रो रु.** | **मुख्य 'ए' श्रेणी शहर** | **एरिया - I रु.** | **अन्य स्थान रु.** |
| स्केल VI व ऊपर के अधिकारी | 4050 | 2925 | 2475 | 2150 |
| स्केल IV व V अधिकारी | 3375 | 2925 | 2475 | 2150 |
| स्केल I, II व III अधिकारी | 2925 | 2475 | 2150 | 1800 |

बशर्ते कि जहाँ अनुपस्थिति की कुल अवधि आठ घंटे से कम लेकिन चार घंटे से अधिक हो, तो उपरोक्त दरों की आधी दर पर विराम भत्ता देय होगा।

**व्याख्या –** विराम भत्ते की गणना के प्रयोजन के लिए "प्रति दिन" का अर्थ हवाई यात्रा के मामले में प्रस्थान के लिए रिपोर्टिंग समय और आगमन के वास्तविक समय तक, अन्य मामलों में प्रस्थान के निर्धारित समय से गणना की

गई चौबीस घंटे की प्रत्येक अवधि या उसके बाद के हिस्से से होगा, और जहाँ अनुपस्थिति की कुल अवधि चौबीस घंटे से कम है, "प्रति दिन" का अर्थ आठ घंटे से कम की अवधि नहीं होगी ।'

(बी) नीचे दी गई तालिका के कॉलम (1) में दिए गए ग्रेड या वेतनमान के किसी अधिकारी को तालिका के कॉलम (2) में दिए गए तत्संबंधी सितारा श्रेणी के भारत पर्यटन विकास निगम (आईटीडीसी) के होटलों में एकल कक्ष आवास प्रभार तक सीमित वास्तविक होटल व्यय की प्रतिपूर्ति की जा सकती है:

**तालिका**

| **अधिकारियों के वेतन ग्रेड या वेतनमान** | **होटल में रहने की पात्रता** |
|---|---|
| (1) | (2) |
| स्केल-VI और उससे ऊपर | 4 सितारा होटल |
| स्केल-IV और V | 3 सितारा होटल |
| स्केल-II और III | 2 सितारा होटल (गैर वातानुकूलित) |
| स्केल-I | 1 सितारा होटल (गैर वातानुकूलित) |

बोर्ड, केन्द्र सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुसार, उक्त निर्दिष्ट सीमाओं से अधिक प्रतिपूर्ति के लिए अतिरिक्त सीमा निर्धारित कर सकता है ।

19. उक्त विनियमन के विनियमन 42 में,-

(ए) उप-विनियम (2) में, खंड (i) में, निम्नलिखित को सम्मलित किया जाएगा, अर्थात्:-

"बशर्ते कि 1 अप्रैल, 2023 से, स्थानांतरण पर एक अधिकारी को अपने व्यक्तिगत सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए उसके व्यय की प्रतिपूर्ति की जाएगी, इस तथ्य पर विचार करते हुए कि शिपमेंट केवल लॉरी के माध्यम से हो रहा है, निम्नलिखित सीमाओं तक:

| **वेतन सीमा** | **जहां अधिकारी का परिवार है** | **जहां किसी अधिकारी का कोई परिवार नहीं है** |
|---|---|---|
| 48480-64820 | 3000 किलोग्राम या 3 टन | 1500 किलोग्राम या 1.5 टन |
| 64821 से अधिक | 12000 किलोग्राम या 12 टन | 2500 किलोग्राम या 2.5 टन |

बोर्ड द्वारा अनुमोदित प्रतिपूर्ति के लिए संशोधित दरें निम्नानुसार हैं:-

| **दूरी किलोमीटर में** | **संशोधित दर रुपए प्रति कि.मी** |
|---|---|
| 1000 किलोमीटर तक | 5.90 रुपए |
| 1000 किलोमीटर से अधिक | 4.25 रुपए |

**नोट 1:** उपरोक्त दरें स्लैब के आधार पर लागू होंगी, अर्थात पहले 1000 किलोमीटर के लिए, दरें 5.90/- रुपये प्रति किलोमीटर होंगी और उसके बाद यह 4.25/- रुपये प्रति किलोमीटर होंगी ।

**नोट 2:** 300 किलोमीटर तक की कम दूरी पर स्थानांतरित किए गए अधिकारियों के मामले में, प्रतिपूर्ति 300 किलोमीटर तक की अनुमति दी जा सकती है।

**नोट 3:** पहाड़ी इलाकों से स्थानांतरित होने वाले अधिकारियों के मामले में, उन्हें पहाड़ी इलाकों में तय की गई दूरी के लिए लागू दर के दो गुना और शेष दूरी के लिए सामान्य दर पर प्रतिपूर्ति की जा सकती है।";

(बी) उप-विनियम (3) के स्थान पर निम्नलिखित उप-विनियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"(3) 1 अप्रैल, 2024 से स्थानांतरित होने वाला अधिकारी पैकिंग, स्थानीय परिवहन, सामान का बीमा आदि से संबंधित व्यय के लिए एकमुश्त राशि प्राप्त करने के लिए पात्र होगा, जैसा कि नीचे दी गई तालिका में निर्दिष्ट है, अर्थात्:-

**तालिका**

| ग्रेड या स्केल | राशि |
|---|---|
| **(1)** | **(2)** |
| उच्च कार्यपालक और वरिष्ठ प्रबंधन (स्केल IV और उससे ऊपर के अधिकारी) | रु. 50,000/- |
| मध्य प्रबंधन और कनिष्ठ प्रबंधन (स्केल III तक के अधिकारी) | रु. 40,000/- |

(सी) उप-विनियम (4) में, नियम के स्थान पर निम्नलिखित नियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"बशर्ते कि 1 अप्रैल 2024 से, जहां बैंक द्वारा किसी अधिकारी को नई तैनाती के स्थान पर कोई आवासीय सुविधा उपलब्ध नहीं कराई जाती है और जहां ऐसे अधिकारी को कार्यभार ग्रहण करने की प्रक्रिया में, उसके नियंत्रण से परे कारणों से अतिरिक्त व्यय करना पड़ सकता है, सक्षम प्राधिकारी, ऐसे अधिकारी के नए स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से, गुण-दोष के आधार पर 15 दिनों की अवधि के लिए या जब तक क्वार्टर उसे उपलब्ध नहीं करा दिया जाता है, जो भी पहले हो, आवास और भोजन प्रभार या विराम भत्ता प्रदान कर सकता है।"।

20. उक्त विनियमों के विनियम 44 के स्थान पर निम्नलिखित विनियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"44. **छुट्टी यात्रा रियायत**- (1) चार वर्ष के प्रत्येक ब्लॉक के दौरान, कोई अधिकारी दो वर्ष के प्रत्येक ब्लॉक में एक बार अपने निवास स्थान की यात्रा के लिए छुट्टी यात्रा रियायत के लिए पात्र होगा:

बशर्ते, वह दो वर्ष के एक ब्लॉक में अपने निवास स्थान की यात्रा कर सकता है तथा दो वर्ष के दूसरे ब्लॉक में भारत में किसी भी स्थान की यात्रा सबसे छोटे मार्ग से कर सकता है:

(2) 1 अप्रैल, 2024 से, वैकल्पिक रूप से, कोई अधिकारी चार वर्ष के ब्लॉक या दो वर्ष के ब्लॉक के दौरान, जैसा भी मामला हो, किसी भी समय विकल्प का प्रयोग करके अपनी छुट्टी यात्रा रियायत (निवास स्थान की यात्रा के अलावा) को सरेंडर तथा भुना सकेगा, जिस पर वह कनिष्ठ प्रबंधन ग्रेड स्केल I, मध्य प्रबंधन ग्रेड स्केल II के अधिकारियों के लिए 5,500 किलोमीटर (एकतरफा) की दूरी तक तथा मध्यम प्रबंधन ग्रेड स्केल III और वरिष्ठ प्रबंधन ग्रेड स्केल IV और उससे ऊपर के अधिकारियों के लिए 6,500 किलोमीटर (एकतरफा) जिस श्रेणी की यात्रा के लिए वह पात्र है, उस श्रेणी की ट्रेन यात्रा के लिए पात्र किराए के बराबर राशि प्राप्त करने का पात्र होगा:

बशर्ते कि कोई अधिकारी अपनी छुट्टी यात्रा रियायत को नकदीकरण का विकल्प चुनता है, तो वह उस ब्लॉक के दौरान अपने और अपने परिवार के सदस्यों के लिए केवल एक बार दावा करेगा जिसमें ऐसी नकदीकरण सुविधा का

लाभ उठाया जाता है और छुट्टी यात्रा रियायत का लाभ उठाते समय विशेषाधिकार छुट्टी के नकदीकरण की सुविधा भी छुट्टी यात्रा रियायत की सुविधा का लाभ उठाते समय उपलब्ध है।

(3) जिस तरीके और वर्ग से कोई अधिकारी छुट्टी यात्रा रियायत का लाभ उठा सकता है, वह वही होगा जिसके तहत अधिकारी आमतौर पर स्थानांतरण पर यात्रा करने का पात्र होता है और अन्य नियम और शर्तें जिनके अधीन कोई अधिकारी छुट्टी यात्रा रियायत का लाभ उठा सकता है, वे बोर्ड द्वारा समय-समय पर तय की जाएंगी:

बशर्ते कि 1 अप्रैल, 2024 से छुट्टी यात्रा रियायत का लाभ उठाते समय जूनियर प्रबंधन ग्रेड स्केल । का कोई अधिकारी सबसे कम किराए वाली इकोनॉमी क्लास में हवाई यात्रा करने का पात्र होगा, जिसकी प्रतिपूर्ति वास्तविक किराया या यात्रा की गई दूरी के लिए ट्रेन द्वारा एसी प्रथम श्रेणी के लिए लागू किराया जो भी कम हो और वही नियम तब लागू होंगे जब मध्य प्रबंधन ग्रेड स्केल ॥ और मध्य प्रबंधन ग्रेड स्केल ॥। में कोई अधिकारी छुट्टी यात्रा रियायत का लाभ उठाता है, जहां दूरी 500 किलोमीटर से कम है।

(4) हर चार साल में एक बार, जब कोई अधिकारी छुट्टी यात्रा रियायत का लाभ उठाता है, तो उसे एक बार में तीस दिनों से अधिक नहीं की अपनी विशेषाधिकार छुट्टी को समर्पण करने और नकदीकरण की अनुमति दी जा सकती है या वह दो साल के एक ब्लॉक में अपने गृह स्थान और दूसरे ब्लॉक में भारत में किसी भी स्थान की यात्रा करते समय, प्रत्येक ब्लॉक में अधिकतम पंद्रह दिन या एक ब्लॉक में तीस दिन के साथ विशेषाधिकार छुट्टी के नकदीकरण की अनुमति दी जा सकती है और छुट्टी के नकदीकरण के उद्देश्य से उस महीने के लिए देय सभी परिलब्धियां स्वीकार्य होंगी, जिसके दौरान छुट्टी यात्रा रियायत का लाभ उठाया गया है:

बशर्ते कि कोई अधिकारी, अपने विकल्प पर, प्रधान मंत्री राहत कोष में दान के लिए एक दिन की अतिरिक्त विशेषाधिकार छुट्टी को नकदीकरण की अनुमति दी जाएगी, बशर्ते कि वह बैंक को इस आशय का एक पत्र दे और बैंक को निधि में राशि भेजने के लिए अधिकृत करना।

(5) जहां पति और पत्नी दोनों एक ही बैंक में कार्यरत हों, वहां अवकाश यात्रा रियायत का लाभ स्वतंत्र रूप से उठाया जा सकता है।

(6) पूर्वोत्तर राज्यों में कार्यरत कर्मचारियों के लिए अवकाश यात्रा रियायत गुवाहाटी से शुरू होगी तथा उनके कार्यस्थल से गुवाहाटी तक का पात्र रेल किराया अतिरिक्त रूप से भुगतान किया जाएगा।

(7) अंडमान और निकोबार द्वीप समूह से चेन्नै या कोलकाता, लक्षद्वीप से कोच्चि, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, जम्मू और कश्मीर में दूर-दराज के क्षेत्रों की शाखाओं या किसी अन्य क्षेत्र जो सीधे रेलगाड़ी से जुड़े नहीं हैं, के लिए पात्र किराये की प्रतिपूर्ति इन क्षेत्रों में कार्यरत कर्मचारियों के लिए निकटतम प्रमुख रेलवे स्टेशन तक सामान्य पात्रता के अतिरिक्त अवकाश यात्रा रियायत के अंतर्गत की जाएगी।

(8) यात्रा पर बेंचमार्क विकलांगता वाले अधिकारी के साथ जाने वाले अनुरक्षक को छुट्टी यात्रा रियायत सुविधा निम्नलिखित शर्तों के अधीन दी जाएगी, अर्थात्:-

ए) प्रत्येक अवसर पर सक्षम प्राधिकारी की पूर्व स्वीकृति प्राप्त की जाती है ;

बी) अधिकारी की शारीरिक अक्षमता की प्रकृति ऐसी है कि यात्रा के लिए अनुरक्षक की आवश्यकता है और संदेह की स्थिति में विभागाध्यक्ष या नियंत्रक का निर्णय अंतिम होगा;

सी) ऐसे बेंचमार्क विकलांगता वाले अधिकारी के पास उसके साथ रहने के लिए कोई वयस्क पारिवारिक सदस्य नहीं है;

डी) ऐसी मानक विकलांगता वाले अधिकारी और अनुरक्षक को रेल या बस किराये में रियायत, यदि कोई हो, का लाभ उठाना होगा, जो ऐसे मामलों में रेलवे या राज्य रोडवेज प्राधिकारियों द्वारा दी जा सकती है; तथा

ई) कोई अन्य व्यक्ति जो आश्रित के रूप में छुट्टी यात्रा रियायत का पात्र है, ऐसी मानक विकलांगताओं वाले अधिकारी के साथ यात्रा पर नहीं जाता है।

(9) जहां किसी अधिकारी ने अवकाश यात्रा रियायत या छुट्टी के लिए अग्रिम आवेदन किया है तथा टिकट भी बुक कर लिया है और प्रबंधन द्वारा अवकाश यात्रा रियायत को अस्वीकार या स्थगित कर दिया गया है, तो रद्दीकरण शुल्क बैंक द्वारा प्रतिपूर्ति किया जाएगा।

(10) जहां किसी अधिकारी ने निर्धारित समय के अनुसार अवकाश यात्रा रियायत या छुट्टी के लिए आवेदन किया है और उसे मंजूरी मिल गई है और जब ट्रेन टिकटों की अग्रिम बुकिंग संभव नहीं है, तो तत्काल या प्रीमियम तत्काल के तहत खरीदे गए टिकटों की प्रतिपूर्ति की जाएगी।

21. उक्त विनियमों की अनुसूची के स्थान पर निम्नलिखित अनुसूची प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात्:-

**"अनुसूची**

**(विनियम 23 का खंड (ii) देखें)**

1 नवम्बर 2022 से या उसके बाद, कोई भी अधिकारी विशेष क्षेत्र भत्ते के लिए पात्र होगा, जब तक कि उसे नीचे दी गई तालिका में निर्दिष्ट अनुसार पूर्णतः या आंशिक रूप से वापस नहीं ले लिया जाता या संशोधित नहीं कर दिया जाता, अर्थात्:-

**तालिका**
**विशेष क्षेत्र भत्ता**

| **क्र. सं.** | **स्थान** | **भत्ते (रुपये में)** | |
|---|---|---|---|
| | | **रु. 48,481/- के नीचे वेतन** | **रु. 48,481/-के ऊपर वेतन** |
| | | **रु .** | **रु .** |
| **(1)** | **(2)** | **(3)** | **(4)** |
| **1.** | **मिजोरम** | | |
| | (ए) चिम्पटुईपुई जिला और लुंगलेई जिले के लुंगलेई शहर से 25 किलोमीटर से अधिक दूर के क्षेत्र। | 4100 | 5300 |
| | (बी) लुंगलेई शहर से 25 किलोमीटर से अधिक के क्षेत्रों को छोड़कर संपूर्ण लुंगलेई जिला। | 4100 | 5300 |
| | (सी) संपूर्ण आइजोल जिला | 2700 | 3400 |
| **2.** | **नागालैंड** | 4100 | 5300 |
| **3.** | **अंडमान और निकोबार द्वीप समूह** | | |
| | **(**ए) उत्तरी अंडमान**,** मध्य अंडमान**,** छोटा अंडमान**,** निकोबार और नारकोंडम द्वीप समूह | 4100 | 5300 |
| | (बी) दक्षिण अंडमान (पोर्ट ब्लेयर सहित) | 4100 | 5300 |
| **4.** | **सिक्किम** | 4100 | 5300 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **5.** | **लक्षद्वीप द्वीप समूह** | 4100 | 5300 |
| **6.** | **असम** | 1000 | 1200 |
| **7.** | **मेघालय** | 1000 | 1200 |
| **8.** | **त्रिपुरा** | | |
| | **(ए)** त्रिपुरा के दुर्गम क्षेत्र | 4100 | 5300 |
| | (बी ) दुर्गम क्षेत्रों को छोड़कर पूरे त्रिपुरा में | 2700 | 3400 |
| **9.** | **मणिपुर** | 2700 | 3400 |
| **10.** | **अरुणाचल प्रदेश** | | |
| | **(**ए) अरुणाचल प्रदेश के दुर्गम क्षेत्र | 4100 | 5300 |
| | (बी) दुर्गम क्षेत्रों को छोड़कर पूरे अरुणाचल प्रदेश में। | 4100 | 5300 |
| **11.** | **संघ शासित जम्मू और कश्मीर** | | |
| | **(1)** कठुआ जिला:<br>नियाबत बानी**,** लोही**,** मल्हार और मछोड़ी | 4100 | 5300 |
| | (2) **उधमपुर जिला:** | | |
| | (ए) डुडु बसंतगढ़, लैंडर भमाग इलाक़ा, ठकरकोट एवं नगोट | 4100 | 5300 |
| | (बी) तहसील मोहर के सभी क्षेत्र, भाग 2 (सी ) में शामिल लोगों के अलावा। | 4100 | 5300 |
| | (सी) (सी) तहसील मोहर में कंबन की ओर से गोयल तक का क्षेत्र और मासी की ओर से अरनास तक का क्षेत्र | 4100 | 5300 |
| | (3) **डोडा जिला:**<br>किश्तवाड़ तहसील में पैडर और नियाबत नौगाम के इलाके | 4100 | 5300 |
| | (4) **बारमुल्ला जिला:** | | |
| | (**ए**) संपूर्ण गुरेज़-निराबत, तंगदार उप-मंडल और केरन इलाके | 4100 | 5300 |
| | (बी) मैचिल | 4100 | 5300 |
| | (5) पुंछ और राजौरी जिले: - पुंछ और राजौरी जिले के क्षेत्र, पुंछ और राजौरी और सुंदरबनी शहरों और दोनों जिलों के अन्य शहरी क्षेत्रों को छोड़कर | 2700 | 3400 |
| | (6) वे क्षेत्र जो उपरोक्त (1) से (5) में शामिल नहीं हैं, लेकिन जो 8 किलोमीटर की दूरी के भीतर हैं। वास्तविक नियंत्रण रेखा से या उन स्थानों से जिन्हें राज्य सरकार द्वारा अपने स्वयं के कर्मचारियों के लिए समय-समय पर सीमा भत्ते के लिए योग्य घोषित किया जा सकता है। | 2700 | 3400 |
| | (B) केंद्र शासित लद्दाख : लेह ज़िला : नोयमा और नोबरे जनस्कार ज़िले में अन्य सभी जगहें | 4100 | 5300 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 12 | **हिमाचल प्रदेश** | | |
| | **(1) चंबा ज़िला** | | |
| | a) पांगी तहसील<br>भरमौर तहसील के निम्नलिखित पंचायतों और गाँवों :<br>पंचायत : बड़गांव, बजोल, देवल कुगती, नयागाम और तुंदाह,<br>गाँव : ग्राम पंचायत जगत के घाटू, ग्राम पंचायत चौहाटा के कनारसी | 4100 | 5300 |
| | b) भरमौर तहसील, ऊपर (ए) में शामिल पंचायतों और गांवों को छोड़कर। | 4100 | 5300 |
| | c) भर्तीयत तहसील में झंडरू पंचायत, चुराह तहसील, डलहौजी शहर (उचित बनीखेत सहित) | 2700 | 3400 |
| | **(2) किन्नौर जिला** | | |
| | a) आसरंग, चिटकुल और हांगो कूनो या चारंग पंचायतें, 15/20 क्षेत्र में छोटा खंबा की ग्राम पंचायतें शामिल है।<br>नाथपा और रूपी,<br>पूह उपमंडल, ऊपर निर्दिष्ट पंचायत क्षेत्रों को छोड़कर, | 4100 | 5300 |
| | b) उपरोक्त (ए) में शामिल क्षेत्रों के अलावा पूरा जिला। | 4100 | 5300 |
| | **(3) कुल्लू जिला:** | | |
| | a) निरमंड तहसील का 15/20 क्षेत्र, जिसमें खरगा, कुशवार और सरगा ग्राम पंचायतें शामिल हैं | 4100 | 5300 |
| | b) बाहरी सराज (निरमंड तहसील में जकात-खाना और बरो के गांवों को छोड़कर) और संपूर्ण जिला बाहरी सराज क्षेत्र और पंद्राबीस के परगना को छोड़कर, लेकिन तहसील निरमंड के जगत-खाना और बरो गांवों सहित)। | 2700 | 3400 |
| | **(4) लाहौल और स्पीति जिला:**<br>लाहौल और स्पीति का संपूर्ण क्षेत्र | 4100 | 5300 |
| | **(5) शिमला जिला:** | | |
| | (ए) रामपुर तहसील का 15/20 क्षेत्र जिसमें कूट, लबाना-सदाना, सरपारा और चांडी-ब्रांडा की पंचायतें शामिल हैं। | 4100 | 5300 |
| | (बी) डोडरा-कावर तहसील,<br>रामपुर में दरकाली की ग्राम पंचायत, काशापथ तहसील और मुनीश, परगना सराहन की गोरी चैबीस। | 4100 | 5300 |
| | (सी) (I) चौपाल तहसील<br>(i) परगना सराहन के घोरीस, पंजगांव, पाटसनौ, नौबीस और तीन कोटी,<br>(ii) तकलेश क्षेत्र की देवठी ग्राम पंचायत,<br>(iii) परगना बाराबीस, और<br>(iv) रामपुर तहसील के परगना रामपुर के कस्बा रामपुर और घोरी नोग,<br>(II) शिमला शहर और उसके उपनगर (ढल्ली, जतोग, कसुम्पटी, मशोबरा, तारादेवी और टूटू)। | 2700 | 3400 |
| | **(6) कांगड़ा जिला:** | | |
| | (ए) बड़ा भंगाल और छोटा भंगाल के क्षेत्र | 4100 | 5300 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | (I) कांगड़ा जिले का धर्मशाला शहर और नगर निगम सीमा के बाहर स्थित निम्नलिखित कार्यालय, लेकिन धर्मशाला शहर में शामिल हैं-<br>ए) महिला आईटीआई, दारी,<br>बी) मैकेनिकल कार्यशाला, रामनगर,<br>सी) बाल कल्याण और शहर और देश नियोजन कार्यालय, सकोह,<br>डी) निचले सकोह में सीआरएसएफ कार्यालय,<br>ई) कांगड़ा दूध आपूर्ति योजना, डुगियार,<br>एफ) एचआरटीसी कार्यशाला, साधेर,<br>जी) आंचलिक मलेरिया कार्यालय, दाड़ी,<br>एच) वन निगम कार्यालय, शामनगर,<br>आई) चाय फैक्ट्री, दाड़ी,<br>जे) आई.पी.एच. उप-मंडल, दाड़ी,<br>के) निपटान कार्यालय, शामनगर,<br>एल) बिंवा परियोजना, शामनगर।<br>(II) कांगड़ा जिले का पालमपुर शहर, जिसमें पालमपुर में एचपीकेवीवी परिसर और इसके नगरपालिका सीमा के बाहर स्थित निम्नलिखित कार्यालय शामिल हैं, लेकिन पालमपुर शहर में शामिल हैं –<br>ए) एच.पी. कृषि विश्वविद्यालय परिसर,<br>बी) मवेशी विकास कार्यालय/जर्सी फार्म, बनुरी,<br>सी) रेशम उत्पादन कार्यालय/ इंडो-जर्मन कृषि कार्यशाला/ एचपीपीडब्ल्यूडी डिवीजन, बुंडला,<br>डी) विद्युत उप-मंडल, लोहना,<br>ई) डी.पी.ओ. निगम, बुंडला,<br>एफ) इलेक्ट्रिकल एचईएसईई डिवीजन, घुग्गर | 2700 | 3400 |
| | **(7) मंडी जिला :** | | |
| | जोगिंदरनगर तहसील की छुहार घाटी, थुनाग तहसील की पंचायतें: बगड़ा, छतरी, छोटधार, गरागुशैन, गटू, गरयास, जंजैहली, जरयार, जोहार, कल्हणी, कलवन, खोलानाल, लोथ, सिलीबागी, सोमाचन, थाचधार, ताची, थाना,<br>धर्मपुर ब्लॉक की निम्नलिखित पंचायतें –<br>बिंगा, कमलाह, सकलाना, तनयार और ताराखोला, करसोग की पंचायतें तहसील - बालीधार, बागरा, गोपालपुर, खजोल, महोग, मेहुड़ी, मंज, पेखी, सैंज, सराहन और तेबन,<br>सुंदरनगर तहसील की पंचायतें - बोही, बटवाड़ा, धन्यारा, पौड़ा-कोठी, सेरी और शोजा। | 2700 | 3400 |
| | **(8) सिरमौर जिला:**<br>(ए) निम्नलिखित पंचायतें<br>(i) बानी, बाखली (पच्छाद तहसील), | 2700 | 3400 |
| | (ii) भरोग भनेरी (पांवटा तहसील),<br>(iii) बिड़ला (नाहन तहसील),<br>(iv) डिब्बर (पच्छाद तहसील) और<br>(v) थाना कसोगा (नाहन तहसील)<br>(vi) थांसगिरि क्षेत्र | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | (9) सोलन जिला: मंगल पंचायत. | 2700 | 3400 |
| | (10) हिमाचल प्रदेश के शेष क्षेत्र जो उपरोक्त (1) से (9) में शामिल नहीं हैं। | 1000 | 1200 |
| 13 | **उत्तराखंड:**<br>चमोली, पिथोरागढ़, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग और चंपावत जिलों के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र | 4100 | 5300 |
| 14 | **पश्चिम बंगाल** : **दक्षिण 24 परगना जिला**<br><br>सुंदरबन क्षेत्र (डैम्पियर हॉज की रेखा के दक्षिण), अर्थात्, भगतुश खली (रामपुरा), कुमिरमारी (बगना), झिंगा खली, सजनाखली, गोसाबा, अमलमथी (बिद्या), कैनिंग, कुलतली, पियाली, नलगराहा, रैदिघी, भांची, पाथर प्रतिमा, भागवतपुर, सप्तमुखी, नामखाना, सीकरपुर, काकद्वीप, सागर, मौसिनी, कालीनगर, हराओ, हिंगलगंज, बासंती, कुएमारी, कुलटोला, घुसीघटा (कुल्टी) | 1000 | 1200 |

दिलीप कुमार बारीक, महा प्रबन्धक

[विज्ञापन-III/4/असा./127/2025-26]

**नोट:** इण्डियन ओवरसीज़ बैंक (अधिकारी) सेवा विनियम, 1979 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया गया था, बाद में निम्नलिखित अधिसूचनाओं के माध्यम से संशोधित किया गया: -

| क्र.सं. | अधिसूचना क्रमांक | दिनांक | सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तिथि |
|---|---|---|---|
| 1. | 31/SUP/97 | 12.01.1988 | 13.02.1988 |
| 2. | 31/SUP/861 | 07.05.1988 | 28.05.1988 |
| 3. | 31/SUP/2139 | 29.07.1988 | 22.10.1988 |
| 4. | PAD/177/3/88 | 09.12.1989 | 30.12.1989 |
| 5. | PAD/177/1/89 | 09.12.1989 | 30.12.1989 |
| 6. | PAD/177 | 05.03.1994 | 09.04.1994 |
| 7. | PAD/177 | 21.07.1995 | 28.10.1995 |
| 8. | PAD/177 | 17.08.1996 | 09.11.1996 |
| 9. | PAD/177 | 19.11.1996 | 07.12.1996 |
| 10. | PAD/177 | 12.05.1999 | 12.06.1999 |
| 11. | PAD/SUP/177 | 09.09.1999 | 09.10.1999 and 16.10.1999 |
| 12. | PAD/SUP/177 | 22.05.2000 | 17.06.2000 |
| 13. | PAD/SUP/177 | 28.08.2001 | 08.09.2001 |
| 14. | PAD/SUP/177 | 29.11.2002 | 21.12.2002 |
| 15. | PAD/SUP/177/49 | 10.05.2006 | 08.06.2006 |
| 16. | PAD/SUP/177 | 25.03.2008 | 05.04.2008 |
| 17. | HRMD/SUP/177/001 | 28.03.2019 | 08.02.2021 |
| 18. | HRMD/SUP/177/002 | 28.03.2019 | 08.02.2021 |
| 19. | HRMD/SUP/177/01/2021-22 | 08.02.2022 | 16.02.2022 |
| 20. | HRMD / SUP / 177 / 01 / 2024 – 25 | 02.12.2024 | 02.12.2024 |

## विवरणात्मक ज्ञापन

ये नियम जिन्हें पूर्वव्यापी प्रभाव दिया गया है, वे इस संबंध में संबंधित बैंकों और शीर्ष स्तर के अधिकारियों द्वारा दिए गए विशिष्ट आदेश के आधार पर सदस्य बैंकों की ओर से बैंकों के संघ और भारतीय बैंक संघ के बीच हस्ताक्षरित संयुक्त नोट्स के सहमत नियमों और शर्तों के अनुसार हैं। इसलिए, ऐसे पूर्वव्यापी प्रभाव से किसी भी व्यक्ति के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

## INDIAN OVERSEAS BANK

### NOTIFICATION

Chennai, the 29th May, 2025

**No. HRMD/SUP/177/01/25-26.—**In exercise of the powers conferred by section 19 read with sub-section (2) of section 12 of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 (5 of 1970), the Board of Directors of the Indian Overseas Bank, after consultation with the Reserve Bank of India and with the previous sanction of the Central Government, except as respects things done or omitted to be done in pursuance of the Government of India, Ministry of Finance, Department of Financial Services letter number 4/2/1/2022-IR, dated the 13th March, 2024, on and from the 1st November, 2022 till the date of publication of this notification in the Official Gazette, hereby makes the following regulations further to amend the Indian Overseas Bank (Officers') Service Regulations, 1979, namely:–

1. (1) These regulations may be called the Indian Overseas Bank (Officers') Service (Amendment) Regulations, 2025.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Indian Overseas Bank (Officers') Service Regulations, 1979 (hereinafter referred to as the said regulations), in regulation 3,—

(i) for clause (f), the following clause shall be substituted, namely:–

"(f) "family", in relation to an officer for the purposes of medical facilities and for the purpose of leave fare concession, means —

(i) the spouse of the officer;
(ii) wholly dependent unmarried children (including step children and legally adopted children);
(iii) wholly dependent physically or mentally challenged brothers or sisters with forty per cent. or more disability;
(iv) widowed daughters and dependent divorced or separated daughters;
(v) sisters including unmarried or divorced or abandoned or separated from husband or widowed sisters; and
(vi) parents wholly dependent on the officer:

Provided that in the case of physically or mentally challenged children, irrespective of age, they shall be construed as dependents even after their marriage subject to however fulfilling the income criteria for dependent.

***Explanation 1.* —** The expression "wholly dependent family member" shall mean such member of the family having monthly income not exceeding Rs.18,000/- and if the monthly income of one of the parents exceeds Rs.18,000/- or the aggregate of monthly income of both the parents exceeds Rs. 18,000/-, both the parents shall not be considered as wholly dependent on the officer.

***Explanation 2.—*** For the purposes of medical expenses reimbursement scheme and Leave Fare Concession, for all Officers', that is, male or female, any two of the dependent father, mother, father-in-law, mother-in-law shall be covered and the officer shall have the choice to substitute either of the dependents, or both, once in a calendar year.

*Explanation 3.*— This definition shall be effective from the 1st day of April, 2024 and for the calendar year 2024, for the purpose of medical insurance scheme, the revised monthly income criteria of dependents shall be effective from the 1st day of November, 2024.

3. In regulation 4 of the said regulations, —

(a) the *Explanation* to sub-regulation (7) shall be omitted;

(b) for sub-regulations (8) and (9), the following shall be substituted, namely: —

"(8) On and from the 1st November, 2022, the scales of pay specified against each grade shall be as under:

(a) Top Executive Grade
Scale VII = Rs. 156500 – 4340/4 – 173860
Scale VI = Rs. 140500 - 4000/4 – 156500

(b) Senior Management Grade
Scale V = Rs. 120940 – 3360/2 – 127660 – 3680/2 - 135020
Scale IV = Rs. 102300 – 2980/4 – 114220– 3360/2 – 120940

(c) Middle Management Grade
Scale III = Rs. 85920-2680/5– 99320 - 2980/2 - 105280
Scale II = Rs. 64820–2340/1 - 67160 -2680/10 - 93960

(d) Junior Management Grade
Scale I = Rs. 48480-2000/7- 62480-2340/2-67160-2680/7-85920.

***Explanation. —*** Every officer who is governed by the scales of pay as in force as on the 31st October, 2022 shall be fitted in the scale of pay set out as in this sub–regulation as on the 1st November, 2022 on stage-to-stage basis, that is, on corresponding stages from first stage onwards in the respective scales and the increments shall fall on the anniversary date as usual, except where provided otherwise.

(9) The scale of pay for the post of Chief General Manager in Top Executive Grade shall be as under:
Top Executive Grade:
Scale VIII = Rs 253000 – 9000/4 – 289000.

(10) Nothing in sub-regulations (1) to (9) shall be construed as requiring the Bank to have at all times, officers serving in all these grades.

(11) On and from the 1st day of November, 2012, officers shall be paid special allowances as under:

Scale I – III - 7.75 per cent. of Basic Pay plus applicable Dearness Allowance thereon
Scale IV – V - 10 per cent. of Basic Pay plus applicable Dearness Allowance thereon
Scale VI – VII - 11 per cent. of Basic Pay plus applicable Dearness Allowance thereon.

(12) On and from the 1st day of November, 2017, officers shall be paid special allowances as under:

Scale I – III - 16.40 per cent. of Basic Pay plus applicable Dearness Allowance thereon
Scale IV – V - 19 per cent. of Basic Pay plus applicable Dearness Allowance thereon

Scale VI - VII - 20 per cent. of Basic Pay plus applicable Dearness Allowance thereon.

(13) On and from the 1st day of November, 2022, officers shall be paid special allowances as under:

Scale I- 26.50 per cent. of Basic Pay plus applicable Dearness Allowance thereon
Scale II – III -28.30 per cent. of Basic Pay plus applicable Dearness Allowance thereon
Scale IV – V-30.50 per cent. of Basic Pay plus applicable Dearness Allowance thereon
Scale VI - VII- 31.50 per cent. of Basic Pay plus applicable Dearness Allowance thereon.

(14) The Special Allowance for the post of Chief General Manager in Top Executive Grade shall be as under:

Special Allowance Scale VIII = 28.30 per cent. of Basic Pay plus applicable Dearness Allowance thereon.

**Note:** The special allowance referred to in sub-regulations (11) to (14) with applicable Dearness Allowance thereon shall not be reckoned for superannuation benefits, such as pension including Defined Contributory Pension Scheme (New Pension Scheme), Provident Fund and Gratuity.".

4. In regulation 5 of the said regulations, —

(a) for sub-regulation (1), the following sub-regulation shall be substituted, namely: —

"(1) Subject to the provisions of sub-regulation (8) of regulation 4, on and from the 1st November, 2022, the increments shall be granted subject to the following, namely: —

(a) the increments specified in the scales of pay set out in sub-regulations (8) and (9) of regulation 4 shall, subject to the sanction of the Competent Authority, accrue on an annual basis and shall be granted on the first day of the month in which these fall due;
(b) one year after reaching maximum in their respective scales, officers in Scale I and Scale II, shall be granted further increments including Stagnation increment (s) in the next higher Scale only as specified in clause (c) and clause (d) below, subject to their crossing the efficiency bar;
(c) officers in Junior Management Grade Scale I, who have moved to scale of pay for Middle Management Grade Scale II in terms of clause (b) after reaching maximum of the higher Scale, shall be eligible for seven stagnation increments, each such increments for every two completed years of service, of which the first two shall be Rs. 2680/– each and the next five shall be of Rs. 2980/- each:

Provided that an officer shall be eligible for the sixth stagnation increment two years after release of fifth stagnation increment or the 1st November 2022, whichever is later:

Provided further that the officer shall be eligible for the seventh stagnation increment four years after release of fifth stagnation increment or the 1st November 2022, whichever is later;

(d) officers in Middle Management Grade Scale II, who have moved to scale of pay for Middle Management Grade Scale III in terms of clause (b), after reaching maximum of higher scale, shall be eligible for seven stagnation increments of Rs. 2980/- each for every two completed years of service:

Provided that the officer shall be eligible for the sixth stagnation increment two years after release of fifth stagnation increment or the 1st November 2022, whichever is later:

Provided further that an officer shall be eligible for the seventh stagnation increment four years after release of fifth stagnation increment or the 1st November 2022, whichever is later;

(e) officers in substantive Middle Management grade Scale III, that is, those who are recruited in or promoted to Middle Management Grade Scale III shall be eligible for eight stagnation increments,

each such increments for every two years of completed service after reaching the maximum of scale out of which first four stagnation increments shall be of Rs. 2980/- and the next four stagnation increments shall be of Rs. 3360/- each:

Provided that the officer shall be eligible for seventh stagnation increment two years after release of sixth stagnation increment or the 1st November 2022, whichever is later:

Provided further that an officer shall be eligible for the eighth stagnation increment four years after release of sixth stagnation increment or the 1st November 2022, whichever is later;

(f) officers in Senior Management Grade Scale IV shall be eligible for five stagnation increments, each such increment for every two completed years of service after reaching the maximum of scale, of which first stagnation increment shall be of Rs. 3360/- and the next four stagnation increments shall be of Rs. 3680/- each:

Provided that the officer shall be eligible for the third stagnation increment two years after release of second stagnation increment or the 1st November 2022, whichever is later:

Provided further that an officer shall be eligible for the fourth stagnation increment four years after release of second stagnation increment or the 1st November 2022, whichever is later:

Provided also that an officer shall be eligible for the fifth stagnation increment six years after release of second stagnation increment or the 1st November 2022, whichever is later;

(g) officers in Senior Management Grade Scale V shall be eligible for four stagnation increments each of Rs. 4000/- for every two completed years of service after reaching the maximum of scale:

Provided that an officer shall be eligible for the second stagnation increment four years after reaching the maximum of scale or the 1st November 2022, whichever is later:

Provided further that an officer shall be eligible for the third stagnation increment six years after reaching the maximum of scale or the 1st November 2022, whichever is later:

Provided also that an officer shall be eligible for the fourth stagnation increment eight years after reaching the maximum of scale or the 1st November 2022, whichever is later;

(h) officers in Top Management Grade Scale VI shall be eligible for three stagnation increments, each of such for every two completed years of service after reaching the maximum scale of pay, out of which first two stagnation increments shall be of Rs. 4000/- each and the third stagnation increment shall be of Rs. 4340/-:

Provided that an officer who has already reached the maximum scale of pay shall be eligible for first stagnation increment of Rs. 4000/- two years after reaching the maximum of scale or the1st November 2022, whichever is later:

Provided further that an officer who has already reached the maximum scale of pay shall be eligible for second stagnation increment of Rs. 4000/- four years after reaching the maximum of scale or the 1st November 2022, whichever is later:

Provided also that an officer who has already reached the maximum scale of pay shall be eligible for third stagnation increment of Rs. 4340/- six years after reaching the maximum of scale or 1st November 2022, whichever is later;

(i) officers in Top Management Grade Scale VII shall be eligible for three stagnation increments each of Rs. 4340/- for every two completed years of service after reaching the maximum of scale:

Provided that an officer who has already reached the maximum scale of pay shall be eligible for first stagnation increment, two years after reaching the maximum of scale or the 1st November 2022, whichever is later:

Provided further that an officer who has already reached the maximum scale of pay shall be eligible for second stagnation increment four years after reaching the maximum of scale or the 1st November 2022, whichever is later:

Provided also that an officer who has already reached the maximum scale of pay shall be eligible for third stagnation increment, six years after reaching the maximum of scale or 1st November 2022, whichever is later.

**Note:** The increments as mentioned in clauses (c) to (i) of this sub-regulation shall not be allowed to an officer who refuses promotion when offered.

*Explanation.* — Grant of such increments in the next higher scale under this sub-regulation shall not amount to promotion and the privileges, perquisites, duties and responsibilities of the officers shall continue as of their substantive posts.";

(b) in sub-regulation (2), —

(i) before the *Explanation*, the following provisos shall be inserted, namely: —

"Provided that on and from the 1st November, 2022, officers completing CAIIB or Part II of Certified Associate of Indian Institute of Bankers examination (CAIIB-II) shall be eligible for two increments in their scale of pay apart from one increment for completing Junior Associate of Institute of Indian Bankers' examination (JAIIB) or Part I of Certified Associate of Indian Institute of Bankers examination (CAIIB-I):

Provided further that officers who were in the services of the Bank as on the 1st November, 2022 and have already completed CAIIB or CAIIB-II shall be eligible for second additional increment from the 1st November, 2022 or date of passing CAIIB or CAIIB II, whichever is later:

Provided also that in case where an officer, as on the 8th March 2024, has already acquired or acquires hereinafter JAIIB or CAIIB-I or CAIIB (CAIIB Il) after reaching the maximum of the scale of pay (in case of JAIIB or CAIIB), or after reaching the stage which is one stage less than maximum of scale of pay [in case of CAIIB (CAIIB II)], and has not earned increments, otherwise entitled on account of acquiring such qualification, when there were no increments to provide in the scale of pay of those employees, the stagnation increment in such cases may be advanced by one year or two years, as the case may be.".

(ii) in the *Explanation*, after clause (h) and before the Note, the following clause shall be inserted, namely:–

"(i) on and from the 1st November, 2022, other things being equal, the quantum of Professional Qualification Pay shall stand revised as specified in the following Table, namely:–

**Table**

| | |
|---|---|
| Those who have passed Junior Associate of Indian Institute of Bankers or Certified Associate of Indian Institute of Bankers Part I | Rs.1370/- per month one year after reaching maximum of the Scale. |

| | |
|---|---|
| Those who have passed Certified Associate of Indian Institute of Bankers (CAIIB) or both parts of both parts of Certified Associate of Indian Institute of Bankers (CAIIB-II) | (iv) Rs1370/- per month one year after reaching maximum of the Scale;<br>(v) Rs.3425/- per month two years after reaching maximum of the Scale; and<br>(vi) Rs.5480/- per month three years after reaching maximum of the Scale: |

Provided that an officer acquiring Junior Associate of Indian Institute of Bankers or Certified Associate of Indian Institute of Bankers(either or both parts) qualifications after reaching the maximum of the scale of pay, shall be granted from the date of acquiring such qualification, the first instalment of Professional Qualification Pay and the release of subsequent instalments of Professional Qualification Pay shall be with reference to the date of release of first instalment of Professional Qualification Pay.";

(iii) in the Note, after clause (v), the following clauses shall be inserted, namely: —

"(vi) officers who were in the services of the Bank as on the 1st November, 2022 and have already completed JAIIB (CAIIB-I) or CAIIB (CAIIB II) and drawing Professional Qualification Pay -II shall be eligible for Professional Qualification Pay -III one year after the release of Professional Qualification Pay-II or from the 1st November, 2022, whichever is later.

(vii) officers who have completed JAIIB (CAIIB-I) or CAIIB (CAIIB-II) and has reached the maximum in the scale of pay on or before the 1st November, 2022 and has not received the 1st stagnation increment on or before the 1st November, 2022, shall be eligible for Professional Qualification Pay-I on and from the 1st November, 2022 and release of subsequent instalment of Professional Qualification Pay shall be with reference to the date of release of Professional Qualification Pay I under this clause.

(viii) officers in Scale VIII shall not be eligible for Professional Qualification Pay and the same shall not form part of payslip component.";

(c) in sub-regulation (3), —

(i) the Note after clause (g) shall be omitted;

(ii) after clause (g), the following shall be inserted, namely: —

"(h) On and from the 1st November,2022, other things being equal, Fixed Personal Pay together with House Rent Allowance shall be at the following rates and shall remain frozen for the entire period of service:–

**Table**

| **Increment Component (Rs.)** | **Dearness Allowance as on 1st November, 2022 on the increment components (Rs.)** | **Total Fixed Personal Pay payable where bank's accommodation is provided (Rs.)** |
|---|---|---|
| **(1)** | **(2)** | **(3)** |
| 2680 | 200 | 2880 |
| 2980 | 222 | 3202 |
| 3360 | 250 | 3610 |

| | | |
|---|---|---|
| 3680 | 274 | 3954 |
| 4000 | 298 | 4298 |
| 4340 | 323 | 4663. |

(i) Other things being equal, the Fixed Personal Pay together with House Rent Allowance for the post of Chief General Manager in Top Executive Grade Scale – VIII shall be at the rates given in the Table below and shall remain frozen for the entire period of service: —

**Table**

| **Increment Component (Rs.)** | **Dearness Allowance on the increment components (Rs.)** | **Total Fixed Personal Pay payable where bank's accommodation is provided (Rs.)** |
|---|---|---|
| **(1)** | **(2)** | **(3)** |
| 9000 | 669 | 9669. |

Note:

(a) Fixed Personal Allowance or Fixed Personal Pay as indicated under column (3) of the Tables in clauses (b), (c), (d), (e), (f), (g), (h) and (i) of this sub-regulation shall be payable to those officers who are provided with bank's accommodation.

(b) Fixed Personal Allowance or Fixed Personal Pay for officers eligible for House Rent Allowance shall be the aggregate amount specified under columns (1) and (2) of the aforesaid Table and House Rent Allowance drawn by the concerned officer employees when the last increment of the relevant scale of pay as specified in sub-regulations (2),(3), (4), (5), (6), (7), (8) and (9) of regulation 4 is earned.

(c) Only officers who are in the service of the Bank on or before the 1st November, 1993 shall be eligible for Fixed Personal Pay one year after reaching the maximum scale of pay, they are placed.

(d) On and from the 1st November, 1999, there shall be no change in the schedule of release of Professional Qualification Pay as in clause (c) of the *Explanation* to sub-regulation (2) on account of release of Fixed Personal Pay:

Provided that where any instalment of Professional Qualification Pay which on account of the earlier provisions has been shifted by a year and is scheduled for release on or after the 1st November, 1999, it shall be released to the officer on and from this date and second instalment of Professional Qualification Pay, if any, shall be released as on the 1st November, 2000.

(e) The increment component of Fixed Personal Allowance or Fixed Personal Pay shall rank for superannuation benefits.

(f) An officer who has earned the advance increment as in clause (a) above shall draw the quantum of Fixed Personal Allowance or Fixed Personal Pay as mentioned in clauses (b), (c), (d), (e), (f), (g), (h) and (i) of this sub-regulation, one year after reaching the maximum of the scale.".

5. For regulation 7, the following regulation shall be substituted, namely:–

" **7. Categorisation on the appointed date.** — (1) Subject to the provisions of regulation 6, the various posts of officers in the Bank on the appointed date shall be categorised as specified in the Table below: —

**Table**

| POSTS | GRADE or SCALE IN WHICH PLACED |
|---|---|
| **(1)** | **(2)** |
| Chief General Manager | Top Executive Grade – Scale VIII |
| General Manager | Top Executive Grade - Scale VII |
| Deputy General Manager | Top Executive Grade - Scale VI |
| Assistant General Manager | Senior Management Grade – Scale V |
| Chief Manager | Senior Management Grade – Scale IV |
| Senior Manager | Middle Management Grade – Scale III |
| Manager | Middle Management Grade – Scale II |
| Assistant Manager | Junior Management Grade – Scale I: |

Provided that if any difficulties or anomalies arises out of the above categorisation, the same shall be referred to a committee consisting of the Managing Director and Chief Executive Officer and such person or persons as may be appointed by the Central Government for this purpose, for its decision.".

6. In regulation 21 of the said regulations, after sub-regulation (7), the following sub-regulation (8) shall be inserted, namely: —

"(8) On and from the 1st November, 2022, —

(a) Dearness Allowance shall be payable at 1 per cent. of pay per percentage point of index;

(b) Dearness Allowance in the above manner shall be paid for every variation of rise or fall over 123.03 points in the quarterly average of the All India Consumer Price Index (CPI) for Industrial Workers Base 2016=100. 0.01 per cent. change in Dearness Allowance on pay' for change in every second decimal place of CPI 2016 over 123.03 points;

(c) the change in the Dearness Allowance rate shall be released on a quarterly basis on 1st May, 1st August, 1st November and 1stFebruary based on the following, namely:–

| D.A release date | Quarterly average of CPI points of the months | Applicable for the month |
|---|---|---|
| 1stMay | January, February and March | May, June and July |
| 1stAugust | April, May and June | August, September and October |
| 1stNovember | July, August and September | November, December and January |
| 1st February | October, November and December | February, March and April ; |

(d) there shall be no ceiling on Dearness Allowance;

(e) while working out quarterly average, only first two decimals shall be considered.

**Explanation. —** for the purpose of this sub-regulation, —

(a) "pay" for the purpose of Dearness Allowance shall mean basic pay including stagnation increments.

(b) Professional Qualification Allowance or Professional Qualification Pay as specified in clauses (c), (d), (e), (f), (g), (h) and (i) to the Explanation in sub-regulation (2) of regulation 5 shall rank for Dearness Allowance.".

7. In regulation 22 of the said regulations, for sub-regulation (1), the following sub-regulation shall be substituted, namely:–

'(1) On and from the 1st November, 2022,–

(a) where an officer is provided with residential accommodation by the Bank, a sum equal to 0.35 per cent. of the basic pay in the first stage of the scale of pay in which he is placed or the standard rent for the accommodation, whichever is less, shall be recovered from him;

(b) where an officer is not provided any residential accommodation by the Bank, he shall be eligible for House Rent Allowance at the rates specified in the following Table, namely:—

**Table**

| | **Place of work** | **House Rent Allowance** |
|---|---|---|
| | **(1)** | **(2)** |
| (i) | Major "A" Class Cities and Project Area Centres in Group A | 10.0% of Pay |
| (ii) | Other places in Area I and Project Area Centres in Group B and State of Goa | 9.0% of Pay |
| (iii) | Other places | 8.0% of Pay: |

Provided that if an officer produces a rent receipt, the House Rent Allowance payable to him shall be the actual rent paid by him for the residential accommodation in excess over 0.35 per cent. of pay in the first stage of the scale of pay in which he is placed with a maximum of 150 per cent. of the House Rent Allowance payable as per aforesaid rates mentioned in column (2) of the above Table.

**Note**:- The claims of officers for House Rent Allowance linked to the cost of their ownership accommodation shall be also be restricted to 150 per cent. of House Rent Allowance as hitherto.'.

8. In regulation 23 of the said regulations, —

(a) for clauses (i) and (ii), the following clauses shall respectively be substituted, namely: –

"(i) On and from the 1st day of November, 2022, if an officer is serving in a place mentioned in column (1) of the Table below, a city compensatory allowance at the rate mentioned in column (2) thereof against that place shall be payable.

**Table**

| **Places** | **Rate** |
|---|---|
| (1) | (2) |
| (i) Places in Area 1 and above and in the State of Goa | Rs. 2300/- per month |
| (ii) Places with population of five lakhs and over and state capitals and Chandigarh, Puducherry and Port Blair | Rs. 1900/- per month. |

(ii) On and from the 1st November, 2022, the rates of special areas allowances shall be as specified in the Schedule to these regulations:

Provided that where at any of the places indicated in column (1) of the Schedule, Hill and Fuel Allowance as provided under clause (x) is also payable, then the officer shall be eligible to draw only higher of the two allowances and not both.";

(b) for clauses (iv), (v), (vi) and (vii), the following clauses shall respectively be substituted, namely:–

"(iv) On and from the 1st April, 2024, if an officer is transferred from one place to another in the middle of an academic year and if he has one or more children studying in school or college, in the former place, he shall be eligible for a mid-academic year transfer allowance of Rs.2500/- per month per child with a maximum upto two children, from the date he reports to the latter place upto the end of the academic year:

Provided that such allowance shall cease to be payable if all the children cease studying at the former place.

(v) On and from the 1stApril, 2024, if an officer is deputed to serve outside the Bank, he may opt to receive the emoluments attached to the post to which he is deputed, or he may in addition to his pay, draw a deputation allowance at the rate of 7.75 per cent. of pay subject to a maximum of Rs.7500/- per month and such other allowances he would have drawn had he been posted in the Bank's service at that place:

Provided that where such officer is deputed to an organisation which is located at the same place or to the training establishment not owned by the Bank, where he was posted immediately prior to his deputation or to the training establishment not owned by the Bank, he shall receive a deputation allowance equal to 4 per cent. of his pay subject to a maximum of Rs.3750/- per month:

Provided further that where an Officer is deputed to another office or branch within the same municipal limits or urban agglomeration, in Metro or Major A class cities where the distance of such deputation is 20 kilometers and more from the parent branch or office, he shall be eligible for halting allowance as mentioned in sub-regulation (4) of regulation 41.

(vi) On and from 1st April, 2024, if an officer is required to officiate in a post in a higher scale for a continuous period of not less than four days at a time or an aggregate of four days during a calendar month, he shall receive an officiating allowance equal to 15 per cent. of his Basic Pay, pro-rata for the period for which he officiates and officiating allowance will rank as pay for the purposes of Provident Fund and Pension only:

Provided that, where an officer comes to officiate in a higher scale, as a consequence solely of the review of the categorisation of posts under regulation 6, he shall not be eligible for the Officiating Allowance for a period of one year from the date on which the review of the categorisation takes effect.

(vii) On and from the 1st April, 2024, an officer shall be entitled for a closing allowance of Rs.1500/- per quarter for each of the closing.";

(c) for clauses (x), (xi), (xii) and (xiii), the following clauses shall respectively be substituted, namely:–

"(x) On and from the 1st November, 2022, an officer shall be eligible for the Hill and Fuel Allowance as specified in the table below, namely:–

**Table**

| **Place** | **Rate** |
|---|---|
| **(1)** | **(2)** |
| (i) Place with an altitude of 1000 metres and above but less than 1500 metres and Mercara Town | 2 per cent. of pay subject to a maximum of Rs.1450/- per month |
| (ii) Place with an altitude of 1500 metres and above but less than 3000 metres | 2.5 per cent. of pay subject to a maximum of Rs.1900/- per month |
| (iii) Place with an altitude of 3000 metres and above | 5 per cent. of pay subject to a maximum of Rs.3750/- per month. |

(xi) On and from the 1st November, 2022, an officer shall be eligible for Learning Allowance of Rs. 850/- per month along with Dearness Allowance thereon.

**Note:** The Learning Allowance with applicable Dearness Allowance thereon shall not be reckoned for superannuation benefits, that is, Pension including Defined Contributory Pension Scheme, New Pension Scheme (NPS), Provident Fund and Gratuity.

(xii) On and from the 1st November, 2022, an officer shall be eligible for a Fixed Location Allowance of Rs.1200/- per month, who are posted in areas other than the areas that are eligible for City Compensatory Allowance, which shall not be reckoned for payment of Dearness Allowance, superannuation benefits, that is, pension including Defined Contributory Pension Scheme, New Pension Scheme (NPS), Provident Fund and Gratuity.

(xiii)(a) From the financial year 2023-24 Performance Linked Incentive (PLI) shall be payable to all officer employees based on the metrics put in place by the Competent Authority of the Bank as per their priorities from the following select parameters:

(i) Current Account Saving Account (ii) Non Performing Asset (iii) Special Mention Account (iv) Non – interest income (v) Total Business (vi) Profitability (vii) Return on Asset or Return on Equity (viii) Government Schemes.

(b)The Performance Linked Index amount shall be payable in 0-15 (max) number of days of pay (Basic + Dearness Allowance) depending on the metrics put in place by the Competent Authority as mentioned in clause (a).".

9. In regulation 24 of the said regulations, —

(a) for sub-regulation (1) the following sub-regulation shall be substituted, namely:–

"(1) On and from the 1st day of November 2022, an officer shall be eligible for reimbursement of medical expenses for self and family on the strength of own certificate of the officer, of having incurred such expenditure supported by a statement of accounts for the amounts claimed as specified in the table below, namely:–

**Table**

| **Grade** | **Maximum limit of reimbursement** |
|---|---|
| **(1)** | **(2)** |
| Junior Management and Middle Management Grade | Rs.13000/- per annum or the amount incurred, whichever is less |
| Senior Management and Top Executive Grade | Rs.15400/- per annum or the amount incurred, whichever is less. |

**Note 1:-** An officer may be allowed to accumulate unavailed medical aid so as not to exceed at any time three times the maximum amount provided above.

**Note 2**:- For the calendar year 2022, the reimbursement of medical expenses under the medical aid scheme shall be enhanced proportionately for two months, that is, November, 2022 and December, 2022.".

(b) after sub-regulation (3), following sub-regulation shall be inserted, namely:–

"(4) All Officer employees shall also be eligible for reimbursement of Rs 500/- per year towards eye check-up.".

10. In regulation 25 of the said regulations, for sub-regulation (2), the following sub-regulation shall be substituted, namely: —

"(2) Notwithstanding anything contained in sub-regulation (1), it shall be open to the Bank to provide residential accommodation to an officer on payment by the officer, on and from the 1st November, 2022, a sum equal to 0.35 per cent. of the Basic Pay in the first stage of the scale of pay in which he is placed or the standard rent for the accommodation, whichever is less:

Provided that where the officer is provided with furniture at such residence, a further sum equal to 0.075 per cent. of Basic Pay in the first stage of the scale of pay in which he is placed shall be recovered by the Bank from him:

Provided further that where such residential accommodation is provided by the Bank, the charges for electricity, water, gas and conservancy shall be borne by the officer.".

11. In regulation 31 of the said regulations, the following proviso shall be inserted, namely:–

"Provided that where the Sanctioning Authority refuses or postpones the leave of the Officer, the Sanctioning Authority shall record the reasons for the same in writing.".

12. In regulation 32 of the said regulations, after sub-regulation (2), the following sub-regulation shall be inserted, namely:–

"(3) On and from the 1st April 2024, an officer shall be eligible to avail two days casual leave for half- a day on four occasions in a year, out of which two occasions shall be in the morning and two occasions in the afternoon: Provided that casual leave under this category shall be availed after applying 24 hours in advance.

Provided further that at the time of carrying over the balance in casual leave to unavailed casual leave account, the fraction in the balance, if any, shall be ignored.".

13. In regulation 33 of the said regulations,-

(a) for sub-regulations (4) and (5), the following sub-regulations shall respectively be substituted, namely:–

"(4) On and from 1st June, 2015, privilege leave may be accumulated upto not more than two hundred and seventy days, except where leave has been applied and it has been refused:

Provided that on and from the 1st April, 2024, encashment of privilege leave shall be restricted upto a maximum of two hundred and fifty five days:

Provided further that an officer shall also be eligible for encashment of privilege leave at the rate of five days for each calendar year at the time of any festival of his choice and an officer who have already completed fifty five years of age and above shall be eligible to encash privilege leave at the rate of seven days for each calendar year till his retirement.

(5) An officer desiring to avail privilege leave shall ordinarily give not less than ten days notice of his intention to avail such leave except for the purpose of Leave Fare concession:

Provided that on and from the 1st April, 2024, no such advance notice of 10 days shall be required for availing privilege leave for office bearers and Executive Committee members of a registered Trade Union.";

(b)after sub-regulation (6), following sub-regulation shall be inserted, namely:–

"(7) On and from the 1st April, 2024, for the purposes of calculating privilege leave, all types of leave availed except casual leave and mandatory leave shall be excluded.".

14. In regulation 34 of the said regulations,—

(a) in sub-regulation (1), the following provisos shall be inserted, namely:–

"Provided that on and from the 1st April, 2024, an officer shall be eligible for sick leave at the rate of one month for each year of service:

Provided further that the total number of sick leave (including additional sick leave mentioned in regulation 35) shall not exceed seven hundred and twenty days720 days in the entire service of the officer.";

(b)after sub-regulation (5), the following sub-regulations shall be inserted, namely:–

"(6) On and from the 1st April, 2024, a single male parent employee may avail sick leave for the sickness of his children of eight years and below subject to production of medical certificate.

(7) On and from the 1st April, 2024, a women employee may avail one day sick leave per month without production of medical certificate.

(8) On and from the 1st April 2024, officer employees may avail sick leave for the sickness of their special child of fifteen years and below for a maximum period of ten days in a calendar year subject to production of medical certificate.

(9) On and from the 1st April, 2024, officer employees of the age of fifty-eight years and above, may avail sick leave towards hospitalisation of his or her spouse at a centre other than place of work for a maximum period of thirty days in a calendar year.".

15. In regulation 36 of the said regulations, in sub-regulation (1),—

(a) for clause (a), the following clause shall be substituted, namely:–

"(a) A female officer employee shall be eligible for maternity leave on substantive pay for a period not exceeding six months on any one occasion and twelve months during the entire period of her service:

Provided that in case of delivery of twins, the period of maternity leave shall be eight months:

Provided further that on and from the 1st April, 2024, in case of delivery of more than two children in one delivery, the period of maternity leave shall be twelve months:

Provided also that maternity leave may be availed combining it with any other kind of leave except casual leave.";

(b) for clause (d), the following clause shall be substituted, namely:–

"(d) A female officer employee may avail leave once during service for legally adopting a child who is below one year of age, for a maximum period of nine months, subject to the following terms and conditions, namely: -

(i) leave will be granted for adoption of only one child;
(ii) the adoption of a child should be through a proper legal process and the employee should produce the adoption-deed to the Bank for sanctioning such leave;
(iii) the leave shall also be available to biological mother in cases where the child is born through surrogacy;
(iv) the leave shall be availed within overall entitlement of twelve months during the entire period of service.";

(c) after clause (e), the following clauses shall be inserted, namely:—

"(f) On and from the 1st April 2024, maternity leave may be availed for in vitro fertility (IVF) treatment subject to production of medical certificate within the overall limit of twelve months.

(g) On and from the 1st April, 2024, special maternity leave may be availed by a female employee upto sixty days in case of a still born or death of the infant within twenty-eight days of birth.".

16. For regulation 37A of the said regulations, the following regulation shall be substituted, namely:–

"**37A. Special casual leave and special leaves**.—(1) With effect from the 1st November 2020, an officer employee shall be eligible for special casual leave on occasions when the branch where the officer is working or the place where he is residing, is affected by curfew, riots, prohibitory orders, natural calamities, floods, etc,..

(2) With effect from the 1st November, 2020, a physically or orthopedically handicapped officer shall be eligible for four days special casual leave.

(3) With effect from the 1st April, 2024, the Principal Officer bearers of All India Officers' Unions or Associations shall be granted Special Leave upto twenty-five days in a calendar year.

(4) With effect from the 1st April, 2024, officers who are defense representatives in departmental enquiry, may avail one day special leave for the purpose of preparing the defense submission of an officer employee:

Provided that such special leave shall be availed for a maximum of ten occasions in a year.

(5) An officer may also be granted special casual Leave and any special leave as may be decided by the Board in accordance with the guidelines issued by the Central Government from time to time.".

17. After regulation 37A of the said regulations, the following regulation shall be inserted, namely:–

'**37B. Bereavement leave.—** An officer employee shall be granted bereavement leave on the demise of the family members (Spouse, children, parents and parents-in-law) for such number of days as may be decided by the Board from time to time:

Provided that the intervening holidays will form part of the bereavement leave:

Provided further that the said leave should be availed within a maximum period of 15 days of the demise:

Provided also that the said leave shall not be considered as "Active service" for the purpose of calculation of "Privilege leave".'.

18. In regulation 41 of the said regulations,-

(a) for sub-regulation (1), the following sub-regulation shall be substituted, namely:–

"(1) On and from the 1st April, 2024, wherever an officer is required to travel on duty, the following provisions shall apply, namely:–

(a) an officer in Junior Management Grade shall be entitled to travel by air-conditioned 1st class by any train including Premium Trains like Rajdhani or Shatabdi or Tejas or Vande Bharat or Amrit Bharat, etc. (except luxury trains):

Provided that such officer may, however, travel by air (economy class) if so permitted by the Competent Authority, having regard to the exigencies of business or public interest;

(b) an officer in Middle Management Grade shall be entitled to travel by air-conditioned 1st Class by any train including Premium Trains as mentioned in clause (a):

Provided that he may travel by air (economy class) if the distance to be travelled is more than 500 kilometers:

Provided further that he may travel by air (economy class) even for shorter distance, if so permitted by the Competent Authority, having regard to the exigencies of business or public interest;

(c) an officer in Senior Management or Top Executive Grade is entitled to travel by air-conditioned 1st Class by any train including premium trains as mentioned in clause (a) or by air (economy class);

(d) an officer in Senior Management or Top Executive Grade may travel by car between places not connected by air or rail provided that the distance does not exceed 500 kilometers:

Provided that when a major part of the distance between the two places can be covered by air or rail, only the rest of the distance should normally be covered by car;

(e) any officer may be authorised by the Competent Authority, having regard to the exigencies of business, to travel by his own vehicle or by taxi or by the Bank's vehicle;

(f) an officer of any grade or scale shall be eligible to travel by water transport in deluxe cabin category between places not connected by road or air or rail;

(g) an Officer shall be eligible for fare by premium trains (except luxury trains).

**Note 1:-** Goods and Service Tax charges levied on train fare shall be over and above the entitlement.

**Note 2:-** In view of prevailing dynamic fare system, the cost of train tickets charged on the date of booking shall be reimbursed.";

(b) in sub-regulation (2), after clause (ii), the following Explanation shall be inserted, namely:–

" *Explanation.*- for the purpose of this clause, on and from the 1st February 2023, the rate per kilometre shall be as under:

| Sr. No. | Type of Vehicle | Revised Rate of reimbursement per km. |
|---|---|---|
| 1. | Four Wheeler- Engine capacity of 1000 cc or more | Rs. 11.00/- |
| 2. | Four Wheeler- Engine capacity of less than 1000 cc | Rs. 9.00/- |
| 3. | Motor Cycle and Scooter | Rs. 6.00/- |
| 4. | Mopeds | Rs. 4.00/-.". |

(c) in sub-regulation (3), for clause (a) and (b), the following clauses shall be substituted, namely:–

'(a) On and from the 1st April, 2024, an officer in the grades or scales set out in column (1) of the Table shall be entitled to *per diem* Halting Allowance at the corresponding rates set out in column (2) thereof, namely:–

**Table**

| (1) | (2) | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Grades or Scales of officers** | **Halting Allowance** | | | |
| | **Metro Rs.** | **Major `A' Class cities Rs.** | **Area I Rs.** | **Other Places Rs.** |
| Officers in Scale VI and above | 4050 | 2925 | 2475 | 2150 |
| Officers in Scale IV and V | 3375 | 2925 | 2475 | 2150 |
| Officers in Scale I, II and III | 2925 | 2475 | 2150 | 1800: |

Provided that where the total period of absence is less than eight hours but more than four hours, Halting Allowance at half the above rates shall be payable.

***Explanation.—*** For the purpose of computing Halting allowance, *"per diem"* shall mean each period of twenty-four hours or any subsequent part thereof, reckoned from the reporting time for departure in the case of air travel and the scheduled time of departure in other cases, to the actual time of arrival and where the total period of absence is less than twenty-four hours, *"per diem"* shall mean a period of not less than eight hours.

(b) An officer in the Grades or Scales set out in column (1) of the table below may be reimbursed the actual hotel expenses restricting to single room accommodation charges in India Tourism Development Corporation (ITDC) hotels of the corresponding star category set out in column (2) of the table:

**Table**

| **Grades or Scales of Officers** | **Eligibility to stay** |
|---|---|
| (1) | (2) |
| Scale-VI and above | 4 Star Hotel |
| Scale-IV and V | 3 Star Hotel |
| Scale-II and III | 2 Star Hotel (Non air-conditioned) |
| Scale-I | 1 Star Hotel (Non air-conditioned) |

The Board may prescribe reimbursement of additional limit in excess of the limits specified above, in accordance with the guidelines of the Central Government.'.

19. In regulation 42 of the said regulations,-

(a) in sub-regulation (2), in clause (i), the following shall be inserted, namely:–
"Provided that on and from the 1st April, 2023, an officer on transfer shall be reimbursed his expenses for transportation of his personal effects from one place to another considering the fact that shipments are happening only through lorry, upto following limits:

| **Pay Range** | **Where and officer has family** | **Where an officer has no family** |
|---|---|---|
| 48480-64820 | 3000 kgs or 3 Tonne | 1500 kgs or 1.5 Tonne |
| 64821 and above | 12000 kgs or 12 Tonne | 2500 kgs or 2.5 Tonne |

The revised rates for reimbursement approved by the Board are as under:-

| **Distance in kilometres** | **Revised rate in rupees per km** |
|---|---|
| Up to 1000 kms | Rs. 5.90/- |
| Beyond 1000 kms | Rs. 4.25 |

**Note 1:** The above rates shall be applicable on slab wise basis, that is, for the first 1000 kms, the are applicable shall be Rs. 5.90/- per kilometre and thereafter it shall be Rs. 4.25/- per kilometre.

**Note 2:** In case of officers transferred to shorter distance upto 300 kilometres, the reimbursement may be permitted upto 300 kilometres.

Note 3: In case of officers transferred to and from hilly terrains, they may be reimbursed to the extent of two times of applicable rate for the distance covered in hilly terrain and at normal rate for the balance distance.";

(b) for sub-regulation (3), the following sub-regulation shall be substituted, namely:—

"(3) On and from the 1st April, 2024, an officer on transfer shall be eligible to draw a lump sum amount for expenses connected with packing, local transportation, insuring the baggage, etc., as specified in the Table below, namely:–

**Table**

| Grade or Scale | Amount |
|---|---|
| **(1)** | **(2)** |
| Senior Management and Top Executive (Officers in Scale IV and above) | Rs.50000/- |
| Junior Management and Middle Management (Officers upto Scale III) | Rs.40000/-."; |

(c) in sub-regulation (4), for the proviso, the following proviso shall be substituted, namely:–

"Provided that on and from the 1st April 2024, where no residential accommodation is made available by the Bank to an officer at the new place of posting and where such an officer may incur additional expenses in the process of taking over charge, for reasons beyond his control, the Competent Authority, from the date of joining of such officer at the new place, may on merits consider grant of either lodging and Boarding charges, or Halting Allowance for a period of 15 days or till the time the quarters are made available to him, whichever is earlier.".

20. For regulation 44 of the said regulations, the following regulation shall be substituted, namely:–

"44. **Leave Travel Concession.—** (1) During each block of four years, an officer shall be eligible for Leave Travel concession for travel to his place of domicile once in each block of two years:

Provided that, he may travel in one block of two years to his place of domicile and in another block of two years to any place in India by the shortest route.

(2) With effect from the 1st April, 2024, alternatively, an officer by exercising an option anytime during a four year block or two year block, as the case may be, surrender and encash his Leave Travel Concession (other than travel to place of domicile) upon which he shall be entitled to receive an amount equivalent to the eligible fare for the class of travel by train to which he is entitled up to a distance of 5,500 kilometres (one-way) for officers in Junior Management Grade Scale I, Middle Management Grade Scale II and Middle Management Grade Scale III and 6,500 kilometres (one-way) for officers in Senior Management Grade Scale IV and above:

Provided that an officer opting to encash his Leave Travel Concession, shall prefer the claim for himself and his family members only once during the block in which such encashment is availed of and the facility of encashment of privilege leave while availing of Leave Travel Concession is also available while encashing the facility of Leave Travel Concession.

(3) The mode and class by which an officer may avail of Leave Travel Concession shall be the same as the officer is normally entitled to travel on transfer and other terms and conditions subject to which the Leave Travel Concession may be availed of by an officer, shall be as decided by the Board from time-to-time:

Provided that with effect from the 1st April, 2024, an officer in Junior Management Grade Scale I while availing Leave Travel Concession shall be entitled to travel by air in the lowest fare economy class in which case the reimbursement shall be the actual fare or the fare applicable to AC 1st Class fare by train for the distance travelled whichever is less and the same rules shall apply when an officer in Middle Management Grade Scale II and Middle Management Grade Scale III avails Leave Travel Concession, where the distance is less than 500 kilometers.

(4) Once in every four years, when an officer avails of Leave Travel Concession, he may be permitted to surrender and encash his privilege leave not exceeding thirty days at a time or he may while travelling in one block of two years to his home town and in other block any place in India, be permitted encashment of privilege leave with a maximum of fifteen days in each block or thirty days in one block and for the purpose of leave encashment all the emoluments payable for the month during which the Leave Travel Concession is availed shall be admissible:

Provided that an officer, at his option, shall be permitted to encash one day additional privilege leave for donation to Prime Minister's Relief Fund subject to his giving a letter to the Bank to that effect and authorising the bank to remit the amount to the fund.

(5) Leave Travel Concession can be availed independently where both husband and wife are working in the same Bank.

(6) For employees working in North-east States, Leave Travel Concession shall begin from Guwahati and the eligible train fare from their place of work to Guwahati shall be additionally paid.

(7) The eligible fare for Andaman and Nicobar Islands to Chennai or Kolkata, Lakshadweep to Kochi, far-flung area branches in Himachal Pradesh, Uttarakhand, Sikkim, Jammu and Kashmir or any other areas which are not directly connected by train shall be additionally reimbursed under Leave Travel concession in addition to normal entitlement for the employees working in these areas to the nearest major Railway Station.

(8) Leave Travel Concession facility shall be allowed for an escort who accompanies an officer with benchmark disabilities on the journey subject to following conditions, namely:–

(a) prior approval of the competent authority is obtained on each occasion;

(b) the nature of physical disability of the officer is such as to necessitate an escort for the journey and in case of doubt, the decision of the head of the Department or Controller shall be final;

(c) the officer with such benchmark disabilities does not have an adult family member as dependent to accompany him;

(d) the officer with such benchmark disabilities and the escort shall avail of the concession, if any, in the Rail or Bus fare as might be extended by Railways or State Roadways authorities in such cases; and

(e) any other person who is entitled to Leave Travel Concession as dependent does not accompany the officer with such benchmark disabilities on the journey.

(9) Where an officer has applied for Leave Travel Concession or Leave in advance and has also booked the tickets and the Leave Travel concession is declined or deferred by the management, the cancellation charges shall be reimbursed by the Bank.

(10) Where an officer has applied for Leave Travel Concession or leave as per stipulated time and the same is sanctioned and when advance booking of train tickets is not possible, tickets purchased under Tatkal or Premium tatkal shall be reimbursed.".

21. For the Schedule to the said regulations, the following Schedule shall be substituted, namely:–

**"SCHEDULE**
**(*See* clause (ii) of regulation 23)**

On and from the 1st day of November, 2022, an officer shall be eligible for Special Area Allowance till such time they are withdrawn or modified, either wholly or partially, as specified in the Table below, namely:–

**Table**
**Special Area Allowance**

| Sl. No. | Place | Allowances (in Rs.) | |
|---|---|---|---|
| | | Pay below Rs.48,481/- | Pay above Rs. 48,481/- |
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 1 | **Mizoram** | | |
| | (a) Chimptuipui District and areas beyond 25 kms from Lunglei Town in Lunglei District. | 4100 | 5300 |
| | (b) Entire Lunglei District excluding areas beyond 25 kms from Lunglei town | 4100 | 5300 |
| | (c) Entire Aizawl District | 2700 | 3400 |
| 2 | **Nagaland** | 4100 | 5300 |
| 3 | **Andaman and Nicobar Islands** | | |
| | (a) North Andaman, Middle Andamans, Little Andaman, Nicobar and Narcondum Islands | 4100 | 5300 |
| | (b) South Andaman (including Port Blair) | 4100 | 5300 |
| 4 | **Sikkim** | 4100 | 5300 |
| 5 | **Lakshadweep Islands** | 4100 | 5300 |
| 6 | **Assam** | 1000 | 1200 |
| 7 | **Meghalaya** | 1000 | 1200 |
| 8 | **Tripura** | | |
| | (a) Difficult areas of Tripura | 4100 | 5300 |
| | (b) Throughout Tripura except Difficult areas | 2700 | 3400 |
| 9 | **Manipur** | 2700 | 3400 |
| 10 | **Arunachal Pradesh** | | |
| | (a) Difficult areas of Arunachal Pradesh | 4100 | 5300 |
| | (b) Throughout Arunachal Pradesh except Difficult areas | 4100 | 5300 |
| 11 | **A.- Union territory of Jammu and Kashmir** | | |
| | (1) **Kathua District**: Niabat Bani, Lohi, Malhar and Machhodi | 4100 | 5300 |
| | (2) **Udhampur District**: | | |
| | (a) Dudu Basantgarh, Lander Bhamag Illaqa, Thakrakote and Nagote | 4100 | 5300 |
| | (b) All Areas in Mahore tehsil other than those included in (c ) below | 4100 | 5300 |
| | (c) Areas upto Goel from Kamban Side and Areas upto Arnas from Keasi side in Tehsil Mohre | 4100 | 5300 |
| | (3) **Doda District**: Illaquas of Padder and Niabat Nowgam in Kashmir Tehsil | 4100 | 5300 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | (4) **Baramulla District**: | | |
| | (a) Entire Gurez-Nirabat, Tangdar Sub-Division and Keran Illaqua | 4100 | 5300 |
| | (b) Matchill | 4100 | 5300 |
| | (5) **Poonch and Rajouri District**: Areas in Poonch and Rajouri District excluding the towns of Poonch and Rajouri and Sunderbani and other urban areas in the two Districts | 2700 | 3400 |
| | (6) Areas not included in (1) to (5) above, but which are within the distance of 8 kms. from the Line of Actual Control (LOC) or at places which may be declared as qualifying for Border Allowance from time to time by the State Government for their own staff. | 2700 | 3400 |
| | **B. Union territory of Ladakh:**<br>**Leh District**:<br>Noyama and Nobre<br>Zanskar<br>All other places in the District | 4100 | 5300 |
| **12** | **Himachal Pradesh** | | |
| | **(1) Chamba District** | | |
| | (a) Pangi Tehsil,<br>Following Panchayats and Villages in Bharmour Tehsil:<br>Panchayats: Badgaun, Bajol, Deol Kugti, Nayagam and Tunda<br>Villages: Ghatu of Gram Panchayat Jagat, Kanarsi of Gram Panchayat Chauhata | 4100 | 5300 |
| | (b) Bharmour Tehsil, excluding Panchayats and Villages included in (a) above | 4100 | 5300 |
| | (c) Jhandru Panchayat in Bhartiyat Tehsil, Churah Tehsil, Dalhousie Town (including Banikhet Proper) | 2700 | 3400 |
| | **(2) Kinnaur District** | | |
| | (a) Asrang, Chitkul and Hango Kuno or Charang Panchayats,<br>15/ 20 Area comprising the Gram Panchayats of Chhota Khamba, Nathpa and Rupi;<br>Pooh Sub-Division, excluding the Panchayat Areas specified above | 4100 | 5300 |
| | (b) Entire District other than areas included in (a) above | 4100 | 5300 |
| | **(3) Kullu District** | | |
| | (a) 15/20 Area of Nirmand Tehsil, comprising the Gram Panchayats of Kharga, Kushwar and Sarga | 4100 | 5300 |
| | (b) Outer-Saraj (excluding villages of Jakat-Khana and Burrow in Nirmand Tehsil) and entire District excluding outer Seraj area and pargana of Pandrabis but including villages Jagat-Khana and Burao of Tehsil Nirmand) | 2700 | 3400 |
| | **(4) Lahaul and Spiti District**:<br>Entire area of Lahaul and Spiti | 4100 | 5300 |
| | **(5) Shimla District** | | |
| | (a) 15/20 area of Rampur Tehsil comprising of Panchayats of Koot, Labana-Sadana, Sarpara and Chandi-Branda | 4100 | 5300 |
| | (b) Dodra-Kawar Tehsil,<br>Gram Panchayat of Darkali in Rampur, Kashapath Tehsil and Munish,<br>Ghori Chaibis of Pargana Sarahan | 4100 | 5300 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | (c) (I) Chopal Tehsil<br>(i) Ghoris, Panjgaon, Patsnau, Naubis and Teen Koti of Pargana Sarahan;<br>(ii) Deothi Gram Panchayat of Taklesh Area;<br>(iii) Pargana Barabis; and<br>(iv) Kasba Rampur and Ghori Nog of Pargana Rampur of Rampur Tehsil;<br>(II) Shimla Town and its suburbs (Dhalli, Jatog, Kasumpti, Mashobra, Taradevi and Tutu) | 2700 | 3400 |
| | **(6) Kangra District:** | | |
| | (a) Area of Bara Bhangal and Chhota Bhangal | 4100 | 5300 |
| | (I) Dharamshala Town of Kangra District and the following offices located outside the Municipal limits but included in Dharamshala Town:<br>(a) Women's ITI, Dari,<br>(b) Mechanical Workshop, Ramnagar,<br>(c) Child Welfare and Town and Country Planning Offices, Sakoh,<br>(d) CRSF Office at lower Sakoh<br>(e) Kangra Milk Supply Scheme, Dugiar,<br>(f) HRTC Workshop, Sadher,<br>(g) Zonal Malaria Office, Dari,<br>(h) Forest Corporation Office, Shamnagar,<br>(i) Tea Factory, Dari<br>(j) I.P.H Sub-division, Dari<br>(k) Settlement Office, Shamnagar<br>(l) Binwa Project, Shamnagar<br>(II) Palampur Town, including HPKVV campus at Palampur and the following offices located outside its municipal limits but included in Palampur Town:<br>(a) H.P. Krishi Vishwavidhalaya Campus,<br>(b) Cattle Development Office or Jersey Farm, Banuri,<br>(c) Sericulture Office or Indo-German Agriculture workshop or HPPWD Division, Bundla,<br>(d) Electrical Sub Division, Lohna,<br>(e) D.P.O. Corporation, Bundla,<br>(f) Eelectrical HPSE Division, Ghuggar | 2700 | 3400 |
| | (7) **Mandi District**: | | |
| | Chhuhar Valley of Jogindernagar Tehsil, Panchayats in Thunag Tehsil:<br>Bagraa, Chatri, Chhotdhar, Garagushain, Gatoo, Garyas, Janjheli, Jaryar, Johar Kalhani, Kalwan, Kholanal, Loth, Silibagi,<br>Somachan, Thachdhar, Tachi, Thana,<br>Following Panchayats of Dharampur Block:<br>Binga, Kamlah, Saklana, Tanyar and Tarakholah,<br>Panchayats of Karsog Tehsil – Balidhar, Bagra, Gopalpur, Khajol, Mahog, Mehudi, Manj, Pekhi, Sainj, Sarahan and Teban,<br>Panchayats of Sundernagar Tehsil –<br>Bohi, Batwara, Dhanyara, Paura-Kothi, Seri and Shoja | 2700 | 3400 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | (8) **Sirmaur District**:<br>(a) Following Panchayats of<br>(i) Bani, Bakhali (Pachhad Tehsil); | 2700 | 3400 |
| | (ii) Bharog Bheneri (Paonta Tehsil);<br>(iii) Birla (Nahan Tehsil);<br>(iv)Dibber (Pachhad Tehsil); and<br>(v)Thana Kasoga (Nahan Tehsil);<br>(b) Thansgiri Tract. | | |
| | (9) **Solan District**: Mangal Panchayat. | 2700 | 3400 |
| | (10) Remaining areas of Himachal Pradesh not included in (1) to (9) above | 1000 | 1200 |
| **13** | **Uttarakhand:** Areas under Chamoli, Pithoragarh, Uttarkashi, Rudraprayag and Champavat Districts | 4100 | 5300 |
| **14** | **West Bengal: South 24 Parganas District**<br>Sunderban Areas (south of Dampier Hodge's line), namely, Bhagatush Khali (Rampura), Kumirmari (Bagna), Jhinga Khali, Sajnakhali, Gosaba, Amlamathi (Bidya), Canning, Kultali, Piyali, Nalgaraha, Raidighi, Bhanchi, Pathar Pratima, Bhagabatpur, Saptamukhi, Namkhana, Sikarpur, Kakdwip, Sagar, Mousini, Kalinagar, Haroa, Hingalganj, Basanti, Kuemari, Kultola, Ghushighata (Kulti) | 1000 | 1200.". |

DILLIP KUMAR BARIK, General Manager

[ADVT.-III/4/Exty./127/2025-26]

**Note:** The Indian Overseas Bank (Officers') Service Regulations, 1979 were published in the Gazette of India, subsequently amended vide following notifications:-

| S No. | Notification Number | Dated | Date of publication in the Official Gazette |
|---|---|---|---|
| 1. | 31/SUP/97 | 12.01.1988 | 13.02.1988 |
| 2. | 31/SUP/861 | 07.05.1988 | 28.05.1988 |
| 3. | 31/SUP/2139 | 29.07.1988 | 22.10.1988 |
| 4. | PAD/177/3/88 | 09.12.1989 | 30.12.1989 |
| 5. | PAD/177/1/89 | 09.12.1989 | 30.12.1989 |
| 6. | PAD/177 | 05.03.1994 | 09.04.1994 |
| 7. | PAD/177 | 21.07.1995 | 28.10.1995 |
| 8. | PAD/177 | 17.08.1996 | 09.11.1996 |
| 9. | PAD/177 | 19.11.1996 | 07.12.1996 |
| 10. | PAD/177 | 12.05.1999 | 12.06.1999 |
| 11. | PAD/SUP/177 | 09.09.1999 | 09.10.1999 and 16.10.1999 |
| 12. | PAD/SUP/177 | 22.05.2000 | 17.06.2000 |
| 13. | PAD/SUP/177 | 28.08.2001 | 08.09.2001 |
| 14. | PAD/SUP/177 | 29.11.2002 | 21.12.2002 |
| 15. | PAD/SUP/177/49 | 10.05.2006 | 08.06.2006 |
| 16. | PAD/SUP/177 | 25.03.2008 | 05.04.2008 |
| 17. | HRMD/SUP/177/001 | 28.03.2019 | 08.02.2021 |
| 18. | HRMD/SUP/177/002 | 28.03.2019 | 08.02.2021 |
| 19. | HRMD/SUP/177/01/2021-22 | 08.02.2022 | 16.02.2022 |
| 20. | HRMD/SUP/177/01/2024-25 | 02.12.2024 | 02.12.2024 |

**EXPLANATORY MEMORANDUM**

These Regulations which have been given retrospective effect are as per the agreed terms and conditions of the Joint Notes signed between the Indian Banks' Association on behalf of member banks on the basis of specific mandate given by the respective banks in this regard and apex level officers' associations of the Banks. Therefore, interests of no person shall be adversely affected by such retrospective effect.

.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

GORAKHA NATH YADAVA
Digitally signed by GORAKHA NATH YADAVA
Date: 2025.05.29 14:23:14 +05'30'